



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 195 ]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2001/चैत्र 5, 1923

No. 195]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2001/CHAITRA 5, 1923

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का. आ. 267 (अ).—करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1162(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 दिसंबर, 2000 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों में जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 60 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध कर दी गई थी :

और केन्द्रीय सरकार को प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम 2001 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) बोर्ड से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है और जो समय-समय पर धारा 5 के अधीन पुनर्गठित किया जाए;

(ग) "फिल्म" से चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) में परिभाषित कोई चलचित्र फिल्म अभिप्रेत है ;

(घ) "आरोग्य प्रमाणपत्र" से पशु के स्वास्थ्य और आरोग्यता को प्रमाणित करने वाले विभिन्न प्राधिकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी पशु चिकित्सा द्वारा अनुदत्त कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

- (ङ) "स्वामी" से पशु का स्वामी अभिप्रेत है और जिसमें कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसके कब्जे या अभिरक्षा में ऐसा पशु है चाहे वह स्वामी की सहमति से हो या सहमति के बिना हो; "स्वामित्व प्रमाणपत्र" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 42 के अधीन अनुदत्त कोई प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ;
- (छ) "विहित प्राधिकारी" से बोर्ड या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जिसे बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए ;
- (ज) "करतब दिखाने वाले पशु" से ऐसा पशु अभिप्रेत है जिसका किसी मनोरंजन में या उसके प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई फिल्म या घोड़ों का कार्यक्रम सम्मिलित है, जिसमें जनता आती है;
- (झ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ञ) "पशु चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984, (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत है ;

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन:—(1) किसी करतब दिखाने वाले पशु के प्रशिक्षण या प्रदर्शन का इच्छुक कोई व्यक्ति इन नियमों के आरंभ से 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए बिना किसी पशु के किसी करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं करेगा।

(2) किसी करतब दिखाने वाले पशु के प्रदर्शन या प्रशिक्षण का इच्छुक कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए पहली अनुसूची में उपवर्णित आवेदन के प्रारूप में आवेदन करेगा।

3. प्रत्येक ऐसा आवेदन विहित प्राधिकारी को किया जाएगा।

4. फीस और रजिस्ट्रीकरण—रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपये की फीस लगी होगी जो या तो नगद रूप में या ऐसी अन्य रीति में सदत्त की जाएगी जिसे इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5. अतिरिक्त जानकारी मंगाने की शक्ति:—(1) विहित प्राधिकारी आवेदक से उसके द्वारा दी गई विशिष्टियों की बाबत ऐसे अतिरिक्त अभिलेख और जानकारी मंगा सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

(2) यदि विहित प्राधिकारी का, करतब दिखाने और आवेदक द्वारा ऐसे पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए बनाई जाने वाली पद्धति की बाबत समाधान हो जाता है तो वह रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगा।

(3) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय ऐसी अन्य शर्त अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह ऐसे करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रशिक्षण और देख-रेख के लिए उचित समझे।

6. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र का प्रारूप:—(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रारूप में विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण को उस क्रम में क्रमसंख्यांक दिया जाएगा जिसमें उसको रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उपदर्शित किया जाएगा।

7. फिल्मों में करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रयोग के लिए पूर्व सूचना :—(1) किसी फिल्म को बनाने में किसी करतब दिखाने वाले पशुओं को भाड़े पर देने या उधार देने का इच्छुक प्रत्येक स्वामी, विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट फारमेट में पूर्व सूचना देगा जिसमें पशु की किस्म, पशु की आयु और पशु का शारीरिक स्वास्थ्य, पशु द्वारा किए जाने वाले करतब की प्रकृति, ऐसे करतब दिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशु के लिए अवधि, ऐसे करतब दिखाने के लिए पशु के प्रशिक्षण की अवधि और पद्धति तथा फिल्म में ऐसे पशुओं के उपयोग का औचित्य और ऐसी अन्य जानकारी जो उस प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

(2) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ किसी पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया एक आरोग्य प्रमाणपत्र लगा होगा, जिसमें वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत आने वाले पशुओं की दशा में स्वामित्व प्रमाणपत्र के साथ पशुओं के स्वास्थ्य और आरोग्यता का प्रमाणपत्र होगा।

8. रजिस्ट्रीकरण की साधारण शर्तें :—

- (1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय ऐसे निबंधन और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित करेगा, अर्थात् :—
- (i) प्रत्येक स्वामी के पास, जिसके पास ऐसे करतब दिखाने वाले दस या दस से अधिक पशु हैं उनकी देखभाल, उपचार और परिवहन के लिए एक नियमित कर्मचारी के रूप में एक पशु चिकित्सक होगा।
- (ii) स्वामी ऐसे पशुओं को लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक सड़क मार्ग से पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माप के पिंजरों के सिवाय परिवहन नहीं करेगा।
- (iii) स्वामी ऐसे परिवहन के दौरान समुचित रूप से पानी पिलाने और चारा खिलाने को सुनिश्चित करेगा
- (iv) स्वामी परिवहन के पश्चात् छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशुओं की बाबत चारा खिलाने और आराम करने के लिए आहतों की व्यवस्था करेगा।

- (v) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पशु को प्रशिक्षण या प्रदर्शन के पूर्व या उसके दौरान अथवा उसके पश्चात् अनावश्यक पीड़ा या यातना न हो।
- (vi) स्वामी उक्त पशु को प्रशिक्षित करने या कोई करतब दिखाने के लिए दबाव डालते हुए चारा खिलाने या पानी पिलाने से वंचित नहीं रखेगा।
- (vii) स्वामी किसी पशु को करतब दिखाने समय इस प्रकार कार्य करवाएगा जो उसकी मूल प्राकृतिक इच्छा के अनुसार हो।
- (viii) स्वामी किसी करतब दिखाने वाले पशु से कार्य नहीं करवाएगा यदि वह रुग्ण या घायल अथवा गर्भवती हो;
- (ix) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी करतब दिखाने वाले पशु के आस-पास जानबूझकर कोई अचानक ऊंची आवाज में शोर न किया जाये या किसी पशु को आग के निकट न लाया जाए जिससे कि पशु डर जाए;
- (x) स्वामी, उस दशा में जब किसी पशु को कृत्रिम प्रकाश के नीचे प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे प्रकाश की समग्र तीव्रता 500 ल्यूमेक्स से अधिक नहीं होगी;
- (xi) स्वामी किसी पशु से ऐसा कार्य नहीं करवाएगा जिससे या तो पशु की मृत्यु हो जाए या वह घायल हो जाए या ऐसे दृश्य में पशु का उपयोग करवाए जिसमें पशु घायल हो जाए;
- (xii) स्वामी, ऐसे पशुओं के किए व्यवधान युक्ति या तार अथवा गड़्डों का उपयोग नहीं करेगा;
- (xiii) स्वामी, किसी पशु को या तो जलती हुई आग के सामने या आग संबंधी दुर्घटना के सामने नहीं ले जाएगा;
- (xiv) स्वामी, किसी पशु को जिसके अंतर्गत आस-पास के घोड़े भी हैं किसी दृश्य का फिल्मांकन करते समय जिसमें विस्फोटक या अन्य उंची आवाज सम्मिलित है, के निकट नहीं ले जाएगा;
- (xv) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सामान जैसे भालों, नुकीली कीलें, कटीलें तारों या अन्य ऐसे सामान का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि करतब दिखाने के दौरान पशु घायल न हो जाए;
- (xvi) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि अश्वों को कठोर धरातल पर, नालों के बिना नहीं चलवाएगा और आगे यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं का पहाड़ी से नीचे के ढलान पर या फिसलते हुए ढलान पर स्किड और होकबूटों के बिना नहीं चलवाएगा;
- (xvii) किसी अश्व का स्वामी, किसी गद्दीदार चाबुक से भिन्न किसी अन्य चाबुक का उपयोग नहीं करेगा जिसका यह साबित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण किया गया है कि वह किसी घोड़े पर नील, खरोच या अन्य नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह इन शर्तों के अधीन रहते हुए होगा कि :
- (क) चाबुक पर खड़ी हुई किनारी, सिलाई, जोड़ या फ्लैप नहीं होगा;
- (ख) चाबुक का केवल अनुज्ञप्त बुड़सवार द्वारा ही उपयोग किया जाएगा;
- (ग) स्वामी यह भी सुनिश्चित करेगा कि चाबुक का या तो पुट्टे पर या माथे पर अथवा पिछली ओर या पुट्टों के नीचे पीछे की ओर से भिन्न कहीं और स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता है अथवा चाबुक का कंधे की उंचाई से ऊपर उपयोग नहीं करेगा।
- (घ) चाबुक का एक दौड़ में तीन से अधिक तार उपयोग नहीं किया जाएगा;
- (xviii) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु का ऐसे फर्श पर उपयोग नहीं किया जाए जो फिसलन रहित फर्श के उपयोग के बिना बहुत चिकना हो;
- (xix) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं को अधिक संख्या में घेर कर खड़ा नहीं किया जाएगा जिसके कारण पशुओं में भगदड़ मच जाए;
- (xx) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पशु को अन्य पशुओं से नहीं लड़ाया जाता है या लड़ने के लिए उकसाया नहीं जाता है और आगे यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी पशु को किसी घायल या किसी रुग्ण पशु के उपचार के प्रयोजन के लिए किसी पशु चिकित्सक द्वारा संवेदनाहरण के सिवाय कोई शामक औषधि या प्रशांतक या स्टेरोयड या कोई अन्य कृत्रिम वर्धक नहीं दिया जाता है या उसके शरीर में प्रवेश नहीं कराया जाता है;
- (xxi) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु का इस प्रकार परिवहन नहीं करवाया जाएगा या ऐसे पिंजरों में और अहातों में रखा या परिवह्न नहीं किया जाएगा, जो पशु परिवहन नियम, 1970, प्राणी उद्यान मान्यताप्राप्त नियम, 1992 या किसी अन्य अधिनियम, नियम या उस प्रयोजन के लिए आदेश के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उंचाई, लंबाई या चौड़ाई का माप का न हो;
- (xxii) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु को पर्याप्त आराम कराए बिना किसी फिल्म के फिल्मांकन में अधिक बार टेक के लिए लगातार उपयोग नहीं कराया जाएगा और किसी सांप के उपयोग किए जाने की दशा में, उसे कोई पदार्थ अन्तर्ग्रहण नहीं कराया जाएगा या तारकोल वाली या किसी अन्य गर्म सतह पर नहीं चलाया जाएगा और कृषित सतह पर नहीं दौड़ाया जाएगा;
- (xxiii) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि किसी फिल्म के फिल्मांकन में किसी पशु का उपयोग करते समय लड़ाई के दृश्य को पशुधन रखने वाले क्षेत्र में नहीं फिल्माया जाएगा जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन क्षेत्र भी है और आगे यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पक्षी को पिंजरों में दर्शित नहीं किया जाता है;

(xxiv) स्वामी, विहित प्राधिकारी को कम से कम चार सप्ताह पूर्व फिल्म के वास्तविक रूप से बनाए जाने के स्थान, तारीख और समय की सूचना देगा जहां पर पशु का उपयोग किया जाता है;

(2) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करने के लिए ऐसी अन्य शर्तों को भी अधिरोपित कर सकेगा जो वह पशुओं के कल्याण के संबंध में समुचित समझे।

9. रजिस्टर—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसको इन नियमों के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, अपना नाम एक रजिस्टर में दर्ज कराएगा जिसे तीसरी अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में रखा जाएगा।

10. रजिस्टर का निरीक्षण—इन नियमों के प्रयोजन के लिए रखा गया रजिस्टर बीस रुपए की फीस के संदाय पर किसी कार्यकरण दिवस को कार्य घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और कोई व्यक्ति उससे उद्यरण ले सकेगा या वह पचास रुपए की फीस के संदाय पर उसमें की किसी प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति उसे जारी करने के लिए विहित प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा।

11. रजिस्टर में प्रविष्टियों के फेरफार के लिए आवेदन—इन नियमों के प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि किन्हीं विशिष्टियों में फेरफार के लिए प्रत्येक आवेदन चौथी अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में होगा और जब किन्हीं विशिष्टियों में फेरफार किया जाता है तो विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाएगा और एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

12. पशु चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट का पेश किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति जिसका इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि करतब दिखाने वाले सभी पशुओं की एक मासिक रिपोर्ट विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक आगामी मास की 7 तारीख को या उससे पूर्व विहित प्राधिकारी को पेश की जाएगी जिसमें उनका स्वास्थ्य, मृत्यु और जन्म की बाबत किसी पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र होगा।

13. विनिर्दिष्ट करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन और प्रशिक्षण का प्रतिबेध—करतब दिखाने वाले पशुओं को, जिनके करतब को अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है, किसी करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रशिक्षित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

14. निरीक्षण करने की शक्ति—(1) विहित प्राधिकारी, पशुओं के परिवहन की पद्धति, देखभाल और उनके रखरखाव का निरीक्षण करने के लिए या करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रशिक्षण या प्रदर्शन के समय उपस्थित रहने या किसी फिल्म को बनाने के दौरान किसी अधिकारी को तैनात कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

(2) स्वामी ऐसे अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में बाधा नहीं पहुंचाएगा और उसे सभी संभव सहायता देगा जो उसे उसका कर्तव्य पालन में सहायक हो।

15. निरीक्षण की रिपोर्ट—नियम 14 के अधीन तैनात किया गया अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, निरीक्षण के पश्चात् नियमों के अनुपालन और विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन की बाबत विहित प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

16. ऐसे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है :—

(1) प्रत्येक पशु को, जिसकी बाबत नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है, रजिस्ट्रीकरण की शर्तों और इन नियमों के अधीन रहते हुए प्रदर्शित और प्रशिक्षित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पशु को, जिसकी बाबत नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, रजिस्ट्रीकरण की शर्तों और इन नियमों के अधीन रहते हुए किसी फिल्म के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) विहित प्राधिकारी, नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्त या अधिनियम के किसी उपबंध अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन की दशा में, जांच के लंबित रहने तक रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा और सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहत कर सकेगा या ऐसे आदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह पशुओं के कल्याण के लिए उचित समझे।

17. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रतियां जारी करना—ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, उसके द्वारा यह सबूत देने पर कि रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाणपत्र गुम हो गया है या नष्ट हो गया है और सौ रुपए की फीस के संदाय करने पर इन नियमों के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक दूसरी प्रति प्राप्त कर सकेगा और उसका वही प्रभाव होगा जो रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाणपत्र का है।

## पहली अनुसूची

## आवेदन का प्ररूप

[नियम 3(2) देखिए]

में, करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ और निम्नलिखित विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूरा होने की घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर -----

तारीख -----

पता जिस पर अनुमोदन  
आदेश भेजा जाना है

-----  
-----

## विशिष्टियां

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. राज्य का नाम (यदि भारत में कोई उपयोग होता है)
3. राष्ट्रिकता
4. (क) भारत में निवास के नियत स्थान का पता या (ख) भारत में डाक का पता जिस पर पत्र भेजे जा सकते हैं
5. जब दौरे पर हो अस्थाई पते से भिन्न भारत में पता या पते (यदि कोई हो), जिस पर आवेदक करतब दिखाने वाले पशुओं का प्रशिक्षण करता है या प्रशिक्षण करना चाहता है (यदि कोई नहीं है तो "कोई नहीं" लिखें)
6. यह कथन करें कि वह करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख
7. स्वामित्व प्रमाणपत्र की प्रति यदि पशु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन एक संरक्षित जाति है
- 8 (i) करतब दिखाने वाले प्रस्तावित पशु की विशिष्टियां

	जाति	लिंग	आयु	संख्यांक
--	------	------	-----	----------

(क) प्रशिक्षित

(ख) प्रदर्शित

(ग) फिल्मों में उपयोग के लिए प्रशिक्षित  
और प्रदर्शित(ii) प्रशिक्षित करतब दिखाने वाले पशु  
जो प्रदर्शित किये जाने के लिए ऊपर  
विनिर्दिष्ट है।

9. करतब या करतबों की प्रकृति का वर्णन जिनमें करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रदर्शित किया जाना है जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है जिनमें उस, उपस्कर का नाम उल्लिखित करें, जिसका करतब के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना है।

**स्पष्टीकरण :** करतब में भाग लेने वाले पशुओं द्वारा (कौन सा करतब) किया जाना है उसका विस्तृत वर्णन, प्रशिक्षण की पद्धति और करतब दिखाने की लगभग अवधि का कथन किया जाना चाहिए। एक ही दिन में दिखाए जाने वाले करतबों की संख्या और करतब में भाग लेने वाले प्रत्येक किस्म के पशुओं की संख्या

## दूसरी अनुसूची

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

(नियम 6 देखिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि वह व्यक्ति जिससे नीचे उल्लिखित विशिष्टियां संबंधित हैं, के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के करतब दिखाने वाले पशु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अधीन ( ) के लिए आज रजिस्ट्रीकृत हो गया है।

रजिस्टर में क्रम संख्यांक की प्रविष्टि.....

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के लिपिक के हस्ताक्षर

स्थान का नाम :

तारीख :

## विशिष्टियां

प्रशिक्षक या प्रदर्शक का नाम	राष्ट्रिकता	या तो (क) भारत में निवास के निश्चित स्थान का पता या (ख) भारत में डाक का स्थाई पता जिस पर प्रशिक्षक या प्रदर्शक को पत्र भेजे जा सकते हैं	पता या पते जिस पर करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित किया जाना है	किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्री-करण की विशिष्टियां	करतब दिखाने वाले पशु की किस्म	प्रस्तावित प्रदर्शित फिल्मों में किए जाने वाले पशु की किस्म	करतब दिखाने वाले पशु की किस्म	रजिस्ट्री-करण की प्रकृति	रजिस्ट्री-करण की तारीख	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 24 के अधीन न्यायालय के किसी आदेश की विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

## तीसरी अनुसूची

रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप

(नियम 9 देखिए)

## विशिष्टियां

क्र. सं. या प्रदर्शक का नाम	राष्ट्रिकता	या तो (क) भारत में निवास के निश्चित स्थान का पता या (ख) भारत में डाक का स्थाई पता जिस पर प्रशिक्षक या प्रदर्शक को पत्र भेजे जा सकते हैं	पता या पते जिस पर करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित किया जाना है	किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्री-करण की विशिष्टियां	करतब दिखाने वाले पशु की किस्म	प्रस्तावित प्रदर्शित फिल्मों में किए जाने वाले पशु की किस्म	करतब दिखाने वाले पशु की किस्म	रजिस्ट्री-करण की प्रकृति	रजिस्ट्री-करण की तारीख	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 24 के अधीन न्यायालय के किसी आदेश की विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

**चौथी अनुसूची**

रजिस्टर में प्रविष्ट विशिष्टियों के फेरफार के लिए आवेदन का प्ररूप

(नियम 11 देखिए)

**आवेदक के फेरफार की बाबत रजिस्टर में विशिष्टियों को प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन**

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,

आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख :

मैं, इसके द्वारा करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को लौटाता हूँ और इसके द्वारा निम्न प्रकार से फेरफार किए जाने की बाबत रजिस्टर में विशिष्टियों को प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन करता हूँ और जिनके कारण नीचे दिये गए हैं :

मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे विद्यमान प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाए और एक नया रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाणपत्र मुझे जारी कर दिया जाए।

हस्ताक्षर.....

पता.....

.....

.....

**पाँचवी अनुसूची**

परिवहन के लिए सुझावात्मक आकार के पिंजरे

[ नियम 8(II) देखिए ]

जाति	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	ऊँचाई (मी.)
स्लेंडर लोरिस	0.40	0.25	0.35
स्लो लोरिस	0.60	0.25	0.45
घोड़ा (पालतू/जंगली)	3.00	1.00	1.75
गधा (पालतू/जंगली)	2.25	.80	1.28
जेबरा	2.60	.95	1.80
हाथी (व्यस्क)	4.80	2.40	2.84
दरियाई घोड़ा (साधारण)	4.06	2.10	1.50
पिग्मी हिप्पो	1.52	1.00	0.74
सिवेट	0.79	.40	0.38
मैंगूज	0.56	.25	0.13
बत्तख	0.38 से 0.63	.22-0.35	.78
पाखता	0.46	0.20	0.21

**छठी अनुसूची**  
**बंधुआ पशुओं की महत्वपूर्ण स्तनधारी जातियों को चारा**  
**खिलाने/सोने के घनाकारों/बाड़ों के लिए न्यूनतम**  
**विहित आकार**  
**[ नियम 8-(iv) देखिए ]**

जाति का नाम कुटुम्ब-फिलिडी	लंबाई	घनाकार/बाड़ों का आकार मीटरों में चौड़ाई	ऊंचाई
1	2	3	4
तेंदुआ	2.00	1.50	2.00
छोटी बिल्ली	1.80	1.50	1.50
<b>कुटुम्ब-एलिफेन्टिडी</b>			
हाथी	8.0	6.0	5.5
कुटुम्ब-राइनोसिरोटिडी			
एक सींग का भारतीय गैंडा	5.0	3.0	2.5
<b>कुटुम्ब-कारबिडी</b>			
पर्वत भूशुंगाभ हिरण	3.0	2.0	2.5
हंगुल	3.0	2.0	2.5
अनुपी हिरण	3.0	2.0	2.5
कस्तूरी हिरण	2.5	1.5	2.0
मूषक हिरण	1.5	1.0	1.5
<b>कुटुम्ब-बोविडी</b>			
नीलगिरि टहर	2.5	1.5	2.0
चिंकारा	2.5	1.5	2.0
चार सींग वाला बारहसिंगा	2.5	1.5	2.0
जंगली बुरियालो	3.0	1.5	2.0
भारतीय गोर	3.0	2.0	2.5
याक	4.0	2.0	2.5
भरल, गोशल, जंगली भेड़ और मारखोर	2.5	1.5	2.0
<b>कुटुम्ब-एक्विडी</b>			
घोड़ा	6.0	4.0	3.0
जंगली गधा	4.0	2.0	2.5
<b>कुटुम्ब-कैनिडी</b>			
गीदड़, भेड़िया और जंगली कुत्ता	2.0	1.5	1.5
<b>कुटुम्ब-विदरिडी</b>			
ताड सिघेट	2.0	1.0	1.0
विशाल भारतीय सिघेट और बिन्दुरोग	2.0	1.5	1.0
<b>कुटुम्ब-मस्टीलिलिडी</b>			
सभी किस्म के ऊद बिलाख	2.5	1.5	1.0
चूहा/भालू सूअर	2.5	1.5	1.0
मारटेन	2.0	1.5	1.0
<b>कुटुम्ब-प्रोसायोनिडी</b>			
लाल पांडा	3.0	1.5	1.0
<b>कुटुम्ब-लोरीसिडी</b>			
स्लो लोरिस और स्लेंडर लोरिस	1.0	1.0	1.5

[फा. सं. 19/1/2000-ए डब्ल्यू डी]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2001

S.O. 267(E).— Whereas the draft **Performing Animals (Registration) Rules, 2000** were published, as required by sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), under the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 1162(E) dated the 26<sup>th</sup> December, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) dated the 27<sup>th</sup> December, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1<sup>st</sup> January, 2001;

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the **Performing Animals (Registration) Rules, 2001.**
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions -** In these rules unless the context otherwise requires-
  - a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).
  - b) "Board" means the Animal Welfare Board of India, established under section 4 and as reconstituted from time to time under section 5A of the Act,
  - c) "film" means a cinematograph film as defined in the Cinematograph Act of 1952 (37 of 1952);
  - d) "fitness certificate" means a certificate granted by a veterinary doctor to be nominated by the prescribed authority certifying the health and fitness of the animal,

- e) "owner" means the owner of an animal and includes any other person in possession or custody of such animal whether with or without the consent of the owner;
- f) "ownership certificate" means a certificate granted under section 42 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- g) "prescribed authority" means the Board or such other authority or officer as may be authorised by the Board,
- h) "performing animal" means an animal which is used at or for the purpose of any entertainment including a film or an equine event to which the public are admitted,
- i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- j) "veterinary doctor" means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).
- 3 **Application for registration-** (1) Any person desirous of training or exhibiting a performing animal shall, within thirty days from the commencement of these rules, apply for registration to the prescribed authority and shall not exhibit or train any animal as a performing animal without being registered under these rules
- (2) Any person desirous of exhibiting or training any performing animal shall apply for registration in the form of application set out in the **First Schedule**.
- (3) Every such application shall be made to the prescribed authority.
- 4 **Fee and registration** - Every application for registration shall be accompanied by a fee of Rupees five hundred which may be paid either in cash or in such other manner as may be specified by the Board for this purpose
- 5 **Power to call for additional information-** (1) The prescribed authority may call for such additional records and information as it may deem fit from the applicant in respect of the particulars furnished by it
- (2) If the prescribed authority is satisfied about the proposed performance and the method to be adopted for the training of such animals by the applicant it may grant registration
- (3) The prescribed authority while granting registration may impose such other conditions, as it may deem appropriate for the training and upkeep of such performing animals.

6. **Form of certificate of registration:-** (1) The certificate of registration shall be issued by the prescribed authority in the form set out in the **Second Schedule**
- (2) Every registration shall be given a serial number in a order in which it is made, and it shall be indicated in the certificate of registration.
7. **Prior information for use of performing animals in films-** (1) Every owner desirous of hiring out or lending a performing animal in the making of a film shall give prior information in the format as specified by the prescribed authority for this purpose to specifying the kind of animal, age of animal, physical health of the animal, the nature of performance to be done by the animal, the duration for which the animal shall be used for such performance, the duration and method of training of the animal for such performance and the justification for the use of such animals in the film and such other information as may be required by that authority.
- (2) Every such application shall be accompanied by a fitness certificate issued by a veterinary doctor certifying the health and fitness of the animal along with a ownership certificate in case of animals covered under the Wildlife(Protection) Act, 1972 (53 of 1972).
8. **General conditions for registration:**
- (1) The prescribed authority while granting registration may impose such terms and conditions as it deems appropriate and shall impose the following conditions in granting registration, namely. -
- i. every owner who has ten or more such performing animals shall have a veterinarian as a regular employee for their care treatment and transport.
  - ii. the owner shall not transport such animals by road continuously for more than 8 hours and except in cages admeasuring as specified in the **Fifth Schedule**;
  - iii. the owner shall ensure proper watering and feeding halts during such transportation,
  - iv. the owner after transportation shall provide feeding and retiring enclosures in respect of the animals specified in the **Sixth Schedule**;
  - v. the owner shall ensure that any animal is not inflicted unnecessary pain or suffering before or during or after its training or exhibition,
  - vi. the owner shall not deprive the animal of feed or water in order to compel the said animal to train or perform any trick,
  - vii. the owner shall train an animal as a performing animal to perform an act in accordance with its basic natural instinct,
  - viii. the owner shall not make a performing animal perform if it is sick or injured or pregnant,
  - ix. the owner shall ensure that no sudden loud noise is deliberately created within the vicinity of any performing animal or bring an animal close to fire, which may frighten the animal:

- x. the owner in case the performing animal is to be exhibited under artificial light, the overall intensity of such light shall not be more than 500 LUX,
- xi. the owner shall not subject the animals to any action which may either kill or injure or use the animal in scenes which may cause injury to the animals;
- xii. the owner shall not use any tripping device or wires or pitfalls for such animals;
- xiii. the owner shall not expose any animal to either burning fire or to fire accidents;
- xiv. the owner shall not keep any animal including horses in close proximity while shooting scenes involving explosives or other loud noises;
- xv. the owner shall ensure that props such as spears, nails splinters, barbed wires or other such props shall not cause injury to the animals during the performance;
- xvi. the owner shall ensure that the equines are not made to walk on hard surfaces without being shod and shall further ensure that the animals are not used in downhill slides or rodeo slide stops without proper skid and hock boots;
- xvii. *the owner of any equine shall not use any whip other than an air cushioned shock absorbing whip which has been scientifically tested to prove that it will not cause weals, bruising or other damage to the horse and subject to the conditions that- (a) the whip shall not have raised binding, stitching, seam or flap. (b) the whip shall be used by licensed jockeys only. (c) the owner shall also ensure that the whip is not used other than either on the quarters in either the forehand or the backhand position or down the shoulder in the backhand position or use the whip with the arm above shoulder height. (d) the whip shall not be used more than 3 times in a race.*
- xviii. the owner shall ensure that the animal is not used on floors that are very smooth without the use of non-skidding mats.
- xix. the owner shall ensure that large gathering of animals is not allowed in such a way which may cause or result in stampede to the animals;
- xx. the owner shall ensure that the animal is not made or incited to fight against other animals and shall further ensure that sedatives or tranquillisers or steroids or any other artificial enhancers are not administered to or inserted in any animal except the anaesthesia by a veterinary doctor for the purpose of treatment of an injured or sick animal;
- xxi. the owner shall ensure that the animal shall not be transported or be kept or confined in cages and receptacles which do not measure in height, length or breadth as specified under the Transport of Animal Rules, 1978, the Recognition of Zoo Rules, 1992 or under any other Act, rule or order for this purpose;
- xxii. the owner shall ensure that the animal is not continuously used for excessive number of takes in shooting a film without providing adequate rest to the animal and in the event of a snake being used it shall not be made to ingest any substances or made to crawl across tarred or any other heated surface and shall not be contorted to wrestle;

- xxiii. the owner shall ensure that while using an animal in shooting a film, the fight sequence shall not be shot in any livestock holding area including poultry area and shall further ensure that no birds are shown in cages;
- xxiv. the owner shall inform the prescribed authority at least four weeks in advance informing the place, date and time of the actual making of the film wherein the animal is to be used.
- (2) The prescribed authority may also impose such other conditions for the grant of registration as may be deemed appropriate to it for the welfare of animals.
9. **Register-** Every person to whom a certificate of registration is issued under these rules shall have his name entered in a register which shall be kept in the form set out in the **Third Schedule**.
10. **Inspection of register-** The register kept for the purpose of these rules shall be open to inspection during office hours on any working day on payment of a fee of twenty rupees and any person may take extract therefrom or may require the prescribed authority to issue to him a certified copy of any entry made therein on payment of a fee of fifty rupees.
11. **Application for variation of entries in register -** Every application for the variation of any particular entered in the register maintained for the purpose of these rules shall be in the form set out in the **Fourth Schedule** and when any particular is varied the existing certificate of registration shall be cancelled and a new certificate be issued.
12. **Submission of report by veterinary doctor-** Every person who has been granted registration under these rules shall ensure that a monthly report of all the performing animals in the form to be specified by the prescribed authority in respect of their health, deaths and births duly certified by a veterinary doctor is submitted to the prescribed authority on or before the 7<sup>th</sup> of every succeeding month.
13. **Prohibition on exhibition and training of specified performing animals-** Performing animals whose performance has been prohibited under sub section (2) of section 22 of the Act shall not be trained or exhibited as a performing animal.
14. **Power to inspect-** (1) The prescribed authority may depute an officer or authorise any other person, to inspect the mode of transport, care and upkeep of the animals, or to be present at the time of training or exhibition of the performing animals or during making of a film to ensure that the conditions of registration are being complied with
- (2) The owner shall not obstruct the entry of such officer or authorised person and extend all possible assistance to enable him to discharge his duty.

15. **Report of inspection-**The officer deputed or person authorised under rule 14 shall after inspection submit a report to the prescribed authority about the compliance of the rules and the condition as specified by the prescribed authority.
  
16. **Cancellation of registration in respect of which registration has been granted:-**
  1. Every animal in respect of which registration has been granted under rule 5 shall be exhibited and trained subject to the conditions of registration and these rules.
  2. Every animal in respect of which registration has been granted under rule 5 shall be exhibited for a film subject to the conditions of registration and these rules.
  3. The prescribed authority in the event of breach of any of the conditions of registration under rule 5 or any provision of the Act or the rules made thereunder may suspend the registration pending enquiry and after granting an opportunity of hearing revoke the registration so granted or issue such orders or directions as it may consider proper for the welfare of the animals.
  
17. **Issue of duplicate copies of certificate-** Any person who has been granted registration under these rules may, on proof by him that the original certificate of registration has been lost or destroyed and on payment of a fee of one hundred rupees, be given a duplicate copy of the certificate of registration which for the purposes of these rules shall have the same effect as the original certificate of registration.

**FIRST SCHEDULE**  
**Form of Application**  
**(see rule 3 (2))**

I, the undersigned, do hereby apply for registration under the Performing Animals (Registration) Rules, 2000 and do hereby declare the following particulars to be true and complete to the best of my knowledge and belief

Signature \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Address to which order of approval is to be sent

\_\_\_\_\_

PARTICULARS

1. Full Name of applicant (in block letters)
2. State name (if any used in India)
3. Nationality
4. Either (a) address of fixed place of residence in India, and (b) the postal address in India to which letters may be forwarded
5. Address or addresses (if any) in India, other than temporary addresses while on tour, at which applicant trains or intends to train performing animals (If none, write "None")
6. State whether registered under the Performing Animals Rules, 1973. If so, State the number and date of certificate of registration.
7. Copy of ownership certificate if the animal is a protected specie under the Wildlife (Protection) Act 1972
8. (i) Particulars of performing animals proposed to be
 

	<u>Species</u>	<u>sex</u>	<u>age</u>	<u>number</u>
(a)	trained			
(b)	exhibited			
(c)	trained and exhibited for use in films			
- (ii) Trained performing animals already available as prescribed above for being exhibited.
9. Describe the nature of the performance or Performances in which the performing animals are to be exhibited or for which they are to be trained, mentioning any apparatus which is used or to be used for the purpose of the performance

**Explanation**— Detailed description of what is to be done by the animals taking part in the performance, method of training and should state the approximate duration of the performance, the number of performances to be given in one and the same day, and the number of animals of each kind taking part in the performance

**SECOND SCHEDULE**  
**Certificate of Registration**  
(see rule 6)

This is to certify that the person to whom the under-mentioned particulars relate has this day been registered under the Performing Animals (Registration) Rules, 2000 with the Registration Authority for the

Serial Number of Entry in Register-----

Signature of Clerk of Registration Authority

Name of the place :

Date

Particulars

Name of trainer or exhibitor	Nationality	Either (a) Address of fixed place of residence in India or (b) permanent postal address in India to which letters addressed to the trainer or exhibitor may be forwarded	Address or addresses at which the performing animals are to be trained	Particulars of any previous registration	Kind of proposed performing animal.			Description of general nature of performance	Date of Registration	Particulars of any order of Court made under section 24 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
					To be trained	To be exhibited	To be trained/exhibited for use in films			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

**THIRD SCHEDULE**  
**Form of Register**  
**(see rule 9)**

Particulars

Serial No	Name of trainer of exhibitor	Nationality	Either (a) Address of fixed place of residence in India or (b) permanent postal address in India to which letters addressed to the trainer or exhibitor may be forwarded	Address or addresses at which the performing animals are to be trained	Particulars of any previous registration	Kind of proposed performing animal			Description of general nature of performance	Date of Registration	Particulars of any order of Court made under section 24 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
						To be <u>Trained</u>	to be <u>exhibited</u>	to be trained/exhibited <u>for use in films</u>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

**FOURTH SCHEDULE**

**Form of Application for Variation of Particulars  
Entered in Register  
(see rule 11)**

Application to have the particulars entered in the register with respect to the applicant varied

To

The prescribed authority,

Full Name of the applicant (in block letters)

Number and date of Certificate of Registration

I return herewith my certificate of registration under the Performing Animals (Registration) Rules, 2000 and I hereby apply to have the particulars entered in the Register with respect to be varied as follows and the reasons given below:

I also request that my existing certificate may be cancelled and a new certificate of registration may be issued to me.

Signature \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

**FIFTH SCHEDULE**

**Suggestive Size of Cages for Transportation**

(see rule 8 (ii))

Species	Length (m)	Breadth (m)	Height (m)
Slender loris	0.40	0.25	0.35
Slow loris	0.60	0.25	0.45
Horse (domestic/ Wild)	3.00	1.00	1.75
Ass (domestic/ Wild)	2.25	80	1.28
Zebra	2.60	95	1.80
Elephant (Adult)	4.80	2.40	2.84
Hippopotamus (Common)	4.06	2.10	1.50
Pigmy Hippo	1.52	1.00	0.74
Civet	0.79	40	0.38
Mongoose	0.56	25	0.13
Duck	0.38 to 0.63	22 - 0.35	78
Dove	0.40	0.20	0.21

**SIXTH SCHEDULE**

**Minimum prescribed size for feeding/retiring cubicle/enclosures for  
important mammalian species of captive animals  
(see rule 8 (iv))**

Name of the Species	Size of the cubicle/ enclosures in meters		
	Length	Breadth	Height
<b>Family - Felidae</b>			
Leopard	2.00	1.50	2.00
Small cats	1.80	1.50	1.50
<b>Family - Elephantidae</b>			
Elephant	8.0	6.0	5.5
<b>Family - Rhinocerotidae</b>			
One-horned Indian Rhinoceros	5.0	3.0	2.5
<b>Family - Carvidae</b>			
Brow antlered deer	3.0	2.0	2.5
Hangul	3.0	2.0	2.5
Swamp deer	3.0	2.0	2.5
Musk deer	2.5	1.5	2.0
Mouse deer	1.5	1.0	1.5
<b>Family - Bovidae</b>			
Nilgiri tahr	2.5	1.5	2.0
Chinkara	2.5	1.5	2.0
Four horned antelope	2.5	1.5	2.0
Wild Burrialo	3.0	1.5	2.0
Indian Bison	3.0	2.0	2.5
Yak	4.0	2.0	2.5
Bharal, goral, wild sheep and markhor	2.5	1.5	2.0
<b>Family - Equidae</b>			
Horses	6.0	4.0	3.0
Wild Ass	4.0	2.0	2.5
<b>Family - Canidae</b>			
Jackal, wolf and wild dog	2.0	1.5	1.5
<b>Family - Vivirridae</b>			
Palm Civet	2.0	1.0	1.0
Large Indian civet & binturong	2.0	1.5	1.0
<b>Family- Mustellidae</b>			
Otters all types	2.5	1.5	1.0
Rate/Hogbadger	2.5	1.5	1.0
Martens	2.0	1.5	1.0
<b>Family - Procyonidae</b>			
Red Panda	3.0	1.5	1.0
<b>Family - Lorisidae</b>			
Slow loris and slender loris	1.0	1.0	1.5

[F. No. 19/1/2000-AWD]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का. आ. 268.(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2000 का प्रारूप पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1163 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 दिसम्बर, 2000 में ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट थीं, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई भी आक्षेप या सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “पशु” से पशुधन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पशु भी हैं, अर्थात् :—

(i) छोर के अन्तर्गत गाय, सांड और बैल, भैंसा सांड और भैंसे, गायें, भैंसे, मिथुन, याक और बछड़े हैं ;

(ii) आश्व के अन्तर्गत घोड़े, टट्टू, खच्चर और गधे हैं ;

(iii) घोड़े के अन्तर्गत सम्पूर्ण (बीजाश्व), गोलिडंग्स, बच्ची घोड़ियां, बछेड़े और बछेड़ियां हैं ;

(iv) बकरी के अन्तर्गत दो वर्ष और उससे अधिक आयु का वयस्क नर या मादा बकरी है ;

(v) रक के अन्तर्गत नर बकरी (बकरा) है ;

(vi) मनमुन— एक वर्ष से कम आयु की अल्प वयस्क बकरी ;

(vii) नान्नी मादा बकरी ;

(viii) भेड़ के अन्तर्गत दो वर्ष और उससे अधिक आयु का वयस्क नर या मादा भेड़ है,

(ix) ईब-मादा भेड़ ;

(x) मैमना— एक वर्ष से कम आयु की अल्प वयस्क भेड़ ;

(xi) रैम-नर भेड़

(xii) खस्सी मेंढा के अन्तर्गत वह मेमना भी है जिसे मैथुनिक परिपक्वता पर पहुंचने से पूर्व बधिया कर दिया गया है ;

(xiii) सूअर के अन्तर्गत एक वर्ष या उससे अधिक की आयु का वयस्क सूअर या सूअरी है ;

(xiv) घेंटा के अन्तर्गत एक वर्ष से कम आयु का अल्प वयस्क सूअर है ;

(ख) “पशु-चिकित्सक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ग) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. **नियमों का लागू होना**—वे नियम पशुओं के पैदल परिवहन को उस समय लागू होंगे जब ऐसे परिवहन के आरम्भ के गांव या शहर या नगर की सीमा के अन्तिम लक्ष्य की दूरी पांच किलोमीटर या पांच किलोमीटर से अधिक है।

4. **पैदल परिवहनित किए जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की दशा**—(1) पैदल परिवहनित किए जाने वाला पशु स्वस्थ और ऐसे परिवहन के लिए ठीक हालत में होगा :

(2) परिवहनित किए जाने वाले प्रत्येक पशु की बाबत पशु चिकित्सक का इस आशय का प्रमाणपत्र उस पशु के साथ होगा कि ऐसा पशु ऐसे परिवहन के लिए सही हालत में है और किसी संक्रामक, सांसर्गिक या परजीवी रोग से पीड़ित नहीं है और उसे संक्रामक, सांसर्गिक या परजीवी रोगों का टीका लगा दिया गया है।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा।

(5) **कतिपय पशुओं का पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा**—ऐसे नवजात पशुओं का जिनकी नाभि पूरी तरह सूखी नहीं है, रोगी, अन्धे, कृश, लंगड़े थके मांटे पशुओं या ऐसे पशुओं का जिन्होंने पूर्ववर्ती बहत्तर घंटों के दौरान जन्म दिया है या परिवहन के दौरान जन्म देने की सम्भावना है, पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा।

(6) **ऑन-फार्म सामाजिक समूह में परिवहन**—पशुओं का उनके ऑन फार्म सामाजिक समूहों में ही (यात्रा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्थापित) परिवहन किया जाएगा।

(7) **पैदल परिवहनित किए जाने वाले पशुओं के साथ प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर ले जाना**—पशुओं का स्वामी ऐसे पशुओं के साथ, जब उन्हें पैदल परिवहनित किया जा रहा हो, पशु चिकित्सा के प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराएगा।

(8) **परिवहन के दौरान प्रमाणपत्र का ले जाया जाना**—उस दशा में जिसमें पशुओं का पैदल परिवहन करने वाला व्यक्ति उन पशुओं का स्वामी नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवहन के दौरान दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र ले जाएगा।

(9) **पशुओं के परिवहन के दौरान पानी की व्यवस्था**—पशुओं का स्वामी ऐसे पशुओं के पैदल परिवहन के दौरान रास्ते में पानी पिलाने की व्यवस्था करेगा।

(10) **पशुओं के परिवहन के दौरान भोजन और चारे की व्यवस्था**—पैदल परिवहन के दौरान पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन और चारे की पर्याप्त आरक्षिति के साथ पर्याप्त भोजन और चारे की व्यवस्था उनके स्वामियों द्वारा की जाएगी।

(11) **पशुओं के पैदल परिवहन के दौरान चाबुक आदि के उपयोग का प्रतिषेध**—(i) कोई भी व्यक्ति पशुओं को चलाने या उनकी चाल में तेजी लाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किसी चाबुक या लाठी का उपयोग नहीं करेगा और न कोई व्यक्ति उनके पैदल परिवहन के दौरान इस प्रयोजन के लिए पशु के शरीर के किसी भाग में मिर्चों या किसी अन्य पदार्थ का उपयोग करेगा।

(2) यदि पैदल परिवहन के दौरान किसी पशु को बांधने की आवश्यकता हो तो वह ऐसी रस्सी से बांधा जाएगा जिस पर चारों तरफ से कपड़े जैसी उपयुक्त गद्दीदार वस्तु लिपटी हुई हो। ऐसे पशु को, उसकी गर्दन के सिवाय, उसकी नाक या सभी टांगों या शरीर के किसी अन्य भाग पर नहीं बांधा जाएगा।

(3) यदि एक से अधिक पशुओं को पैदल परिवहन के दौरान एक ही रस्सी से एक साथ बांधा जाए तो ऐसे किन्हीं दो पशुओं के बीच कम से कम दो फुट का अन्तर होगा और इस प्रकार बांधें गए ऐसे पशुओं की एक जैसी शारीरिक हालत और ताकत होनी चाहिए तथा ऐसे दो से अधिक पशुओं को एकल रस्सी द्वारा एक दूसरे के साथ नहीं बांधा जाएगा।

12. **पशुओं के पैदल ले जाए जाने पर कतिपय प्रतिषेध**—(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु को सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात् पैदल परिवहनित नहीं करेगा।

(2) नीचे दी गई सारणी में ऐसे पशु के लिए विनिर्दिष्ट दूरी, समय, विश्राम अंतराल और तापमान के परे किसी पशु को पैदल परिवहनित नहीं करेगा :

## सारणी

जाति (जानवर)	तय की गई अधिकतम दूरी/दिन/घंटा	चले दिनों/घंटों की अधिकतम संख्या	विश्राम की अवधि (अंतराल)	तापमान की रेंज अधिकतम न्यूनतम
ढोर (गाय)	30 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
भैंस	25 कि. मी. प्रतिदिन 3 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
गाय और भैंस के बछड़े	16 कि. मी. प्रतिदिन 2.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे	45 कि. मी. प्रतिदिन 6 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 3 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 6 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
अल्प वयस्क (बछेड़ा)	25 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
बकरियां और भेड़	30 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
मुनमुन और मेमने	16 कि. मी. प्रतिदिन 2.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
सूअर	15 कि. मी. प्रतिदिन 2 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
घेंटे	10 कि. मी. प्रतिदिन 1.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक

**टिप्पण :** पानी पिलाने के बाद प्रत्येक पशु का पैदल परिवहन आरंभ करने से पहले 20 मिनट का विश्राम दिया जाएगा और चारा खिलाने के मामले में पैदल परिवहन आरंभ करने से पहले 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा।

(3) किसी भी पशु को भारी बरसात, तूफान या भीषण सूखे या उमस की स्थिति में पैदल नहीं ले जाया जाएगा।

13. **कतिपय दशाओं में पशुओं को बिना नाल के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी**—उन पशुओं का जिनके खुरों में नाल नहीं लगाया गया है, (भारवाही पशुओं या लट्टू पशुओं की दशा में) कठोर सीमेंट, डामर लेपित या पक्की सड़कों, प्रपाती ढालों या पहाड़ी और चट्टानी भूभागों पर, चाहे मौसम की कोई भी दशा हो (गर्मी या सर्दी) पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा।

14. **स्वामी से पशु को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले चलने की अपेक्षा करने की पुलिस की शक्ति**—(1) यदि सिपाही से ऊपर की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा भारत के पशु कल्याण बोर्ड द्वारा, इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास इस बारे में विश्वास करने का कारण है कि किसी पशु के संबंध में इन नियमों के उल्लंघन में कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे पशु के स्वामी या भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस पशु को नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले चले।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट पशुओं का स्वामी या उनका भारसाधक व्यक्ति उस उपनियम के अधीन पुलिस अधिकारी की मांगों का पालन करने से इंकार करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे उम पशु को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं।

### पहली अनुसूची

#### पशुओं के परिवहन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र का प्ररूप

[नियम 4(3) देखिए]

यह प्रमाणपत्र किसी अर्हताप्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

जांच की तारीख और समय

जाति

ट्रकों/रेल के डिब्बों की संख्या

ढोरों की संख्या

लिंग

आयु

#### पहचान

नस्ल (उसके लक्षण बताते हुए)—वह क्षेत्र जहां वह पाया जाता है तथा साधारण प्रतिरोध शक्ति और ताप की सहनशक्ति से संबंधित उसकी स्थिति।

#### पशु के व्यष्टिक लक्षण :

शरीर का रंग,

ऊंचाई,

शरीर का वजन (लगभग)

पशु की लम्बाई

हांकना (श्रोणिय हड्डियों के बीच नापा गया)

आंखों का रंग,

सींगों की बनावट,

साधारण दशा (जैसे—मांसल, हड्डियों का प्रक्षेपण)

#### स्वास्थ्य की स्थिति

पशु का इतिहास, भोजन की स्थिति क्या क्षुधा अभाव/अतिसार के चिन्ह हैं अथवा नहीं

1. शरीर का तापमान अभिलिखित करना
2. कोया के उभार या बहिःसरण अन्धता, आंखों की पुतली की फुल्ली के लिए आंखों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें।
3. चमड़ी की दशा, (निर्जलीकरण, क्षतियों, क्षुधा अभाव के चिन्हों सहित—चमड़ी पर मस्सों की मौजूदगी के लिए जांच करें)
4. कान

कानों की परीक्षा करें—(सुनने पर पशु के शरीर की प्रतिक्रिया के लिए जांच करें, किसी संक्रमण, सूजन या स्राव के लिए जांच करें)

(क) कान के मल, रक्त या किसी तरल की अधिकता की जांच करें।

5. सूजन के लिए उप जंभिका की अवधि की परीक्षा करें (किसी असामान्यता या दर्द के लिए)
6. मादा पशुओं की गर्भ की स्थिति की जांच करें।

यदि हां तो कौन-सी स्टेज है—पहली, दूसरी या तीसरी

7. थन और स्तनाग्रों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें—

- (क) पुट्टों का संबंधित आकार
- (ख) सृजन/अपदाय/तन्तुमय के चिन्हों की जांच करें
- (ग) व्यष्टिक पुट्टों की स्पर्श परीक्षा की अवधि विनिर्दिष्ट करें
- (घ) स्तनाग्रों के ट्यूमर या स्तनाग्रों में तन्तुओं के लिए उनकी नलिकाओं की जांच करें और विनिर्दिष्ट करें।

8. (क) यदि मादा हो तो,

बल्लब की परीक्षा पर योनीय निस्तरण के चिन्ह के लिए जांच करें और विनिर्दिष्ट करें।

(ख) नर में, जांच करें—

अण्डकोश—आकार, मोनोगैस्ट्रिक पशुओं के लिए कोई संकेत।

असामान्यताएं

लिंगि—क्षति, खरोंच या आवरण, स्खलन अभिलिखित किए जाएं।

9. उदरीय पीड़ा के चिन्हों के लिए (पशु की चाल या मुद्रा की जांच करें, उदरीय कुलाब के चिन्ह के लिए जांच करें, आमाशय की परीक्षा के लिए (भरा हुआ, खाली) और अफरा। रक्त के लिए वायु कोख की जांच करें।

10. पाचन तंत्र

मुख की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें—

1. दन्तोद्भेद का व्यौरा
2. दंत क्षति के साक्ष्य, टूटे हुए या घिसे पिटे कृन्तकों के साक्ष्य को विनिर्दिष्ट करें।

11. श्वसन तंत्र

क. श्वसन की दर अभिलिखित करें

ख. श्रवण ओर कष्ट श्वास, श्वास लेने में तकलीफ के संकेतों को विनिर्दिष्ट करें।

12. गायों में उनके सीगों की जांच करें ओर विनिर्दिष्ट करें—

- (क) सीगों की बनावट
- (ख) सीगों के बलयों की संख्या
- (ग) उनकी दिशाओं में कोई अन्तर
- (घ) दोनों सीगों की बनावट

13. अस्थिभंग के लिए पसलियों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें।

14. वैन्ड्रल या अमब्लोकल हर्निया की मौजूदगी के लिए उदर दीवारों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें।

15. हड्डियों के बढ़ने या स्नोवायल डिस्टैन्स के लिए अंगों और जोड़ों की परीक्षा करें तथा लगड़ेपन के चिन्हों को जांच करें और विनिर्दिष्ट करें।

16. किसी चोट के लिए इंटर डिजिटल स्थान की जांच करें और उसे विनिर्दिष्ट करें।

17. पैरों के जख्म, तलवों के अत्यधिक घिसाव या सुमशोथ के कोई संकेत हैं।

18. रक्त-बह-तंत्र की जांच करें—

1. नाड़ी स्पन्दन दर को विनिर्दिष्ट करें
2. शोक आधारित अंग या जलोदर की मौजूदगी के लिए जांच करें और उसको विनिर्दिष्ट करें।

19. -----से-----तक परिवहन किया गया।

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं को पैदल परिवहन) नियम, 2001 पढ़ लिए हैं।

1. कि----- (प्रेयक) के अनुरोध पर मैंने माल यान/रेल के डिब्बों में ऊपर वर्णित पशु की उनके गमन से बारह घंटे से अनधिक पूर्व जांच की है।
  2. कि प्रत्येक पशु रेल/सड़क से यात्रा करने के लिए ठीक हालत में प्रतीत होता है और उसमें संक्रामक या सांसर्गिक या परजीवी रोग के कोई लक्षण दर्शित नहीं हो रहे हैं और उसको पशु प्लेग और किसी अन्य संक्रामक या सांसर्गिक या परजीवी रोगों के टीके लगा दिए गए हैं।
  3. कि पशु को यात्रा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से भोजन करा दिया है और पानी पिला दिया है।
  4. पशु को टीका लगा दिया गया है
- (क) टीके की किस्म (ख) टीका लगाने की तारीख

हस्ताक्षर-----

पता-----

अर्हता-----

तारीख-----

**दूसरी अनुसूची****प्राधिकरण प्रमाणपत्र**

(नियम 8 देखिए)

1. स्वामी का नाम और आयु
2. पिता का नाम
3. स्वामी का पता
4. परिवहन के लिए पशुओं की संख्या, प्रत्येक पशु की जाति, आयु और लिंग को विनिर्दिष्ट करते हुए
5. पशुओं का परिवहन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम
6. परिवहन के लिए ऐसे पशुओं के उद्गम के स्थान और अन्तिम लक्ष्य के स्थान को विनिर्दिष्ट करें
7. नियम 8 के अधीन दिए गए पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें
8. ऐसे पशुओं के परिवहन के दौरान उपलब्ध कराई गई भोजन, चारे और पानी की व्यवस्थाओं का व्यौरा।

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्वोक्त वर्णित पशुओं का स्वामी हूँ। मैंने उक्त पशुओं का परिवहन करने के लिए श्री-----  
-----पुत्र-----निवासी-----को प्राधिकृत किया है। मैंने पशुओं के पैदल परिवहन नियम, 2001 को पढ़ा है और समझ लिया है तथा यह बचन देता हूँ कि परिवहन के दौरान उक्त नियमों का पालन किया गया है और किया जाएगा।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि ऊपर की सूचना सत्य और सही है।

हस्ताक्षर-----

(स्वामी)

**परिवाहक द्वारा भरा जाना चाहिए**

मैं-----पुत्र-----निवासी-----एतद्वारा पूर्वोक्त वर्णित पशुओं का उद्भव के पूर्वोक्त स्थान से अन्तिम लक्ष्य के स्थान तक परिवहन करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

मैंने पशुओं के पैदल परिवहन नियम, 2001 को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा यह बचन देता हूँ कि परिवहन के दौरान उक्त नियमों का पालन किया जाएगा।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

हस्ताक्षर-----

(परिवाहक)

[फा० सं० 19/1/2000-ए डब्ल्यू डी]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2001

**S.O. 268 (E).**—Whereas the draft **Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2000** were published, as required by sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), under the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 1163 (E) dated the 26<sup>th</sup> December, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) dated the 27<sup>th</sup> December, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1<sup>st</sup> January, 2001;

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the **Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001**.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. **Definitions -** In these rules unless the context otherwise requires-
  - a) "animal" means livestock and includes the following animals, namely-
    - (i) cattle including cow, bulls and bullocks, buffalo bulls and bullocks, cows, buffaloes, Mithuns, yaks and calves,
    - (ii) equines including horses, ponies, mules and donkeys,
    - (iii) horse including entires (stallions), goldings, brood mares, colts and fillies,
    - (iv) goat including adult goat, male or female of two years age and above,
    - (v) ruck including male goat,
    - (vi) kid young goat below one year of age,
    - (vii) nanny female goat;

- (viii) sheep including adult sheep, male or female of two years age and above;
  - (ix) ewe female sheep;
  - (x) lamb young sheep below one year of age;
  - (xi) ram male sheep,
  - (xii) wether includes male lamb that has been castrated before reaching sexual maturity;
  - (xiii) pig includes adult pig, male or female of one year of age or above,
  - (xiv) piglet includes young pig below one year of age.
- b) "veterinary doctor" means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984)
- c) "Schedule" means a schedule appended to these rules.
3. **Application of the rules** - These rules shall apply to transport of animals on foot when the distance from the boundary of village or town or city of the origin of such transport to the last destination is 5 km or more than 5 km
4. **Condition of health of animals transported on foot** - (1) Every animal to be transported on foot shall be healthy and in good condition for such transport
- (2) A certificate of a veterinary doctor in respect of each animal to be transported to the effect that such animal is in a fit condition for such transportation and is not suffering from any infectious, contagious or parasitic diseases and that it has been vaccinated against any infectious, contagious or parasitic diseases shall accompany such animal.
- (3) The certificate under sub rule (1) shall be in the form as specified in the **First Schedule**.
5. **Certain animals not to transport on foot** - New born animals of which the navel has not completely healed, diseased, blind, emaciated, lame, fatigued, or having given birth during the preceding seventy two hours or likely to give birth during transport shall not be transported on foot.
6. **Transport in on-farm social group** - Animals shall be transported in their on-farm social groups (established at least one week prior to journey).
7. **First aid equipment to accompany animals transported on foot** - The owner of the animals shall provide veterinary first aid equipment to be accompanied with such animals while transported on foot.

8. **Certificate to be carried during transportation-** In case the person transporting the animals on foot is not the owner of the animal then such person shall carry a certificate as specified in the **Second Schedule** during such transportation.
9. **Watering arrangement during transportation of animals** - The owner of the animals shall make watering arrangement in route during transport of such animals on foot.
10. **Feed and fodder arrangements during transportation of animals** - Sufficient feed and fodder with adequate reserve of such feed and fodder for the animals shall be made available by their owner during their transport on foot.
11. **Prohibition of the use of whip, etc during transportation of animals on foot** -
  - (1) No person shall use a whip or a stick in order to force the animal to walk or to hasten the pace of their walk nor such person shall apply chillies or any other substance to any part of the body of the animal for this purpose during their transportation on foot.
  - (2) If any animal needs to be tied during transport on foot, it shall be tied by a rope covered with suitable cushioning such as cloth around its leg and such animal shall not be tied by its nose, all legs or any other part of the body except by its neck.
  - (3) If more than one animal is to be tied adjacent to one another by a single rope during their transport on foot, the space between any two of such animals shall be minimum two feet and animals so tied shall be of similar physical condition and strength and no more than two such animals shall be tied adjacent to each other by a single rope.
12. **Certain prohibition on transport of animals on foot** - (1) No person shall transport on foot an animal before sunrise or after sunset.

- (2) No animal shall be transported on foot beyond the distance, time, rest interval and temperature specified for such animal in the Table below, namely:-

TABLE

Species (Animal)	Maximum distance covered/day/hour	Maximum no. of walking/day of hours (travelling)	Period of rest (Interval)	Temperature range Max. Min.
Cattle (Cows)	30 km/day 4 km/hr	8 hours	At every 2 hours for drinking and at every 4 hrs for feeding	12 deg. C. to 30 deg. C.
Buffaloes	25 km/day 3 km/hr	8 hours	At every 2 hours for drinking and at every 4 hrs for feeding	12 deg. C. to 30 deg. C.
Cows and Buffaloes calves	16 km/day 2.5 km/hr	6 hours	At every 1 ½ hrs for drinking and at every 3 hrs. for feeding	15 deg. C. to 25 deg. C.
Horses, Ponies, Mules, Donkeys	45 km/day 6 km/hr	8 hours	At every 3 hrs. for drinking and at every 6 hrs. for feeding	12 deg. C. to 30 deg. C.
Young ones (foal)	25 km/day 4 km/hr	6 hours	At every 2 hrs. for drinking and at every 4 hrs. for feeding	15 deg. C. to 25 deg. C.
Goats and Sheep	30 km/day 4km/hr	8 hours	At every 2 hrs for drinking and at every 4 hrs. for feeding	12 deg. C. to 30 deg. C.
Kids and Lambs	16 km/day 2.5 km/hr	6 hours	At every 1½ hrs for drinking and at every 3 hrs for feeding	15 deg. C. to 25 deg. C.
Pigs	15 km/day 2 km/hr	8 hours	At every 1½ hrs for drinking and at every 3 hrs. for feeding	12 deg. C. to 25 deg. C.
Piglets	10 km/day 1.5 km/hr	6 hours	At every 1½ hrs for drinking and at every 3 hrs for feeding	15 deg. C. to 25 deg. C.

**Note:** After being provided with water every animal shall be given a break of 20 minutes before the commencement of the transport of the animal on foot and in case of feeding the break shall be given for one hour before the commencement of the transport of the animal on foot.

- (3) No animal shall be made to walk under conditions of heavy rain, thunderstorms or extremely dry or sultry conditions during its transport on foot.

13. **Transportation of animals in certain cases not permitted without shoes -**  
Animals whose hooves are not provided with shoes (as in the case of pack or draught animals) shall not be transported on foot on hard cement, bitumen-coated or metalled roads, steep gradients or hilly and rocky terrain, irrespective of weather conditions (summer or winter)
14. **Power of police to require the owner to take animal to nearest Magistrate -**  
(1) If any police officer above the rank of constable or any other person authorised in this behalf by the Central or State Government or by the Animal Welfare Board of India by the general or special order, has reason to believe that an offence has been or is being committed in respect of an animal in contravention of these rules, he may require the owner or other person in charge of such animal to take the animal to the nearest magistrate.
- (2) If the owner or the person in charge of the animals referred to in sub-rule (1) refuses to comply with the demands of the police officer under that sub-rule, it shall be lawful for such police officer or such other persons to take the animal to the nearest magistrate.

**FIRST SCHEDULE****Form for Certificate of fitness for transport of animals****(see rule 4 (3) )**

This Certificate should be completed and signed by a qualified Veterinary Doctor

Date and time of examination :

Species

Number of Trucks/Railway Wagons

Number of Cattle

Sex

Age

Identification

**Breed** (giving characteristics) - Area where it is found with status regarding general resistance and heat tolerance.

**Individual Features of the animal-**

Body Colour,

Height,

Body weight (approx)

animal length,

breath (measured between pelvic bones),

colour of the eyes,

shape of the horns,

general condition (like fleshy, bony projections)

Health Status

History of the animal, feed status whether or not sign of anorexia/ diarrhea

1. Record Body Temperature
2. Examine eyes for bulging or protrusion of eyeball, blindness, Corneal opacity & specify.
3. Condition of skin,  
(including signs of dehydration, injuries,  
anorexia (check for presence of warts on the skin)

4. Ears-  
Examine ears -(check for animal body response to hearing,  
check for any infection, inflammation or secretion  
(a) excess of wax, blood or any fluid)
5. Examine sub maxillary gland for swelling  
(for any abnormality or pain)
6. Check for status of pregnancy of female animal  
If yes – which stage 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> stage
7. Examine udder & teats & specify
  - a. Relative size of quarters.
  - b. Check for signs of swelling/atrophy/ fibrous
  - c. in duration on palpation of individual quarter and specify.
  - d. Check teat canal for teat tumour or fibrosis of teat canal and specify.
8.
  - a) If female - check  
Check for sign of vaginal discharge on  
examination of the vulva and specify
  - b) In male - check  
Testicles- Size, any sign/abnormalities for monogastric animals.  
Penis- injury, abrasions or the sheath, discharges to be recorded
9. Sign of abdominal pain (check for gait or posture of the animal,  
check for signs of abdominal distention,  
left flank to be checked for rumen examination (full, empty)  
tympani/blood)
10. Digestive System  
  
Examine mouth and specify
  - 1 Detail out dentition
  - 2 Specify - evidences of
    - tooth damage
    - broken or worn incisors.
11. Respiratory system
  - a. Record Respiration rate -
  - b. Auscultation & specify for signs  
of dyspnoea, respiratory distress & specify
12. In cows possessing horns  
check and specify
  - a) shape of horns
  - b) number of horn rings

- c) any difference in the direction  
d) or appearance of two horns
13. Examine ribs for fracture and specify
14. Examine abdominal wall for presence of ventral or umbilical hernia and specify.
15. Examine limbs and joints for bony enlargements or synovial distentions & specify check for signs of lameness – specify
16. Examine interdigital space for any lesions check and specify
17. Any indications of foot soreness, excessive wear of soles or laminitis
18. Examine circulatory system
1. Specify Pulse rate
  2. Check for presence of oedema dependent portion or ascitis and specify.
19. Transported from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ via

I hereby certify that I have read the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001.

1. That, at the request of (consignor) \_\_\_\_\_ I examined the above mentioned Cattle in the goods vehicle/railway wagons not more than 12 hours before their departure.
2. That each cattle appeared to be in a fit condition to travel by rail/road and is not showing any signs of infectious or contagious or parasitic disease and that it has been vaccinated against rinderpest and any other infections or contagious or parasitic disease(s).
3. That the cattle were adequately fed and watered for the purpose of the journey
4. That the cattle have been vaccinated  
(a) Type of vaccine: \_\_\_\_\_ (b) Date of vaccination: \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signed \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

Qualification \_\_\_\_\_

**SECOND SCHEDULE**Authorisation Certificate

(see rule 8)

1. Name and age of the owner
2. Father's Name :
3. Address of the Owner :
4. No. of animals for transport specifying species, age and sex of each animal .
5. Name of the person/ persons transporting the animals :
6. Specify the place of origin and the place of last destination of such animals for transport:
7. Attach a copy of the veterinary certificate granted under Rule 8 :
8. Details of feed, fodder and watering arrangements provided during transport of such animals.

I do hereby declare that I am the owner of the aforementioned animals. I have authorized Shri \_\_\_\_\_ S/o \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_ to transport the said animals. I have read and understood the Transport of Animals on Foot Rules, 2001 and undertake that the said Rules have been and would be complied with during transport.

I do hereby state that the above information is true and correct.

Sd/-  
(Owner)

To be filled in by the transporter

I \_\_\_\_\_ S/o \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_ do hereby give my consent to transport the aforementioned animals from the aforesaid place of origin to the place of destination.

I have read and understood the Transport of Animals on Foot Rules, 2001 and undertake that the said Rules would be complied with during transport.

I do hereby state that the above information is true and correct.

Sd/-  
(Transporter)

[F. No. 19/1/2000-AWD]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का.आ. 269 (अ).— पशुओं का परिवहन नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1164 (अ) तारीख 26 दिसंबर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 दिसंबर, 2000 में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुओं का परिवहन नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं का परिवहन (संशोधन) नियम 2001 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. पशुओं का परिवहन नियम, 1978 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कहा गया है) अध्याय 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

## “ अध्याय 7

## रेल, सड़क और वायु द्वारा कुक्कुट का परिवहन

76. परिभाषाएं — इस अध्याय में जब तक कि, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “कुक्कुट” में एक दिन के या पाताल मयूर जीवक शिशु, चिकन, बटेर, वृष, कुक्कुट, बतख, हंस और पाताल मयूर सम्मिलित हैं ।
77. रेल, सड़क या वायु मार्ग द्वारा कुक्कुट के परिवहन में साधारण अपेक्षाएं —
  - (क) आधानों में कुक्कुट को रखने से पहले उन्हें उपयुक्त रूप से साफ़ और रोगाणु मुक्त किया जाएगा;
  - (ख) कुक्कुट को परिवहन के दौरान धूप, वर्षा और वायु मार्ग के सीधे झोंको में नहीं छोड़ा जाएगा;
  - (ग) कुक्कुट का परिवहन 25 से० से अधिक और 15 से० से कम तापमान पर नहीं किया जाएगा;
78. एक दिन के घूजे और पाताल मयूर जीवक शिशु - रेल, सड़क और वायु मार्ग द्वारा एक दिन के घूजे और कुक्कुट के परिवहन में,—

(क) चूजों और जीवक शिशु को अण्डों से निकलने के तुरंत पश्चात् पैक किया जाएगा और भेजा जाएगा उन्हें भेजने से पहले किसी भी समय की अवधि के लिए डिब्बों में भण्डार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पण:- उक्त परिवहन में, परेषिती या उसके अभिकर्ता द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि परेषण गंतव्य स्थान तक, इन्क्यूबेटर से बाहर लाए जाने के पश्चात् कम से कम संभव समय के भीतर पहुँच जाएंगे । इन्क्यूबेटर से ब्रूडर तक ले जाने के लिए शीतकाल में बहत्तर घंटे और ग्रीष्म में अड़तालीस घंटे अधिकतम अवधि के रूप में सामान्यतया माने जाएंगे ;

(ख) चूजे या जीवक शिशुओं परिवहन के पहले पहले या दौरान दाना या पानी नहीं दिया जाएगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाएंगे कि चूजे और जीवक शिशु यथासंभव शीघ्र प्रेषक स्थल पर पहुँच जाएं ;

(घ) परेषिती या उसके अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी परेषण धूप, वर्षा और गर्मी के सीधे संपर्क से दूर रहें ;

(ङ) डिब्बों को ले जाने में सावधानी के लिए समतल पर रखे जाएंगे जिससे कि चूजों को पीठ के बल गिरने का खतरा न हो और अन्य पण्य वस्तुओं को चूजों के डिब्बों से ऊपर या चारों ओर रखने से बचाया जाएगा ।

79. एक दिन के चूजों और पाताल मयूर जीवक शिशुओं से भिन्न कुक्कुट- एक दिन के चूजों और पाताल मयूर जीवक शिशु से भिन्न कुक्कुट का परिवहन में रेल, सड़क और वायु मार्ग द्वारा—

(क) स्वस्थ और अच्छी स्थिति के कुक्कुट का परिवहन किया जाएगा और उनका परीक्षण अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा किया जाएगा और यह प्रमाणित किया जाएगा कि वे विसंक्रमणीय रोगों से मुक्त और यात्रा के लिए उपयुक्त है;

(ख) एक आधान में एक ही प्रजाति और एक आयु वर्ग के के कुक्कुट परिवहन किए जाएंगे;

(ग) परिवहन के लिए आधानों में रखने से पूर्व कुक्कुट को उचित रूप से दाना और पानी दिया जाएगा और अतिरिक्त दाना तथा पानी का भी समुचित रूप से आधान में लगी द्रोणिकाओं का प्रबंध किया जाएगा ;

(घ) परिवहन के दौरान दाना और पानी देने का प्रबंध किया जाएगा और गर्मी के मौसम के दौरान प्रत्येक छः घंटे पर पानी देना सुनिश्चित किया जाएगा ;

(ङ) एक ही आधान में मादा स्टॉक के साथ नर स्टॉक का परिवहन नहीं किया जाएगा ।

80. सड़क मार्ग द्वारा यात्रा-- जब कुक्कुट सड़क मार्ग द्वारा परिवहन में हो तो आधान एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जाएंगे और इस प्रकार उपयुक्त क्रम में आच्छादित किए जाएंगे कि प्रकाश, संवातन का प्रबंध हो और वर्षा, गर्मी और शीत वायु से सुरक्षित हो सके ।

81. रेल मार्ग द्वारा यात्रा-- कुक्कुट के रेल मार्ग द्वारा परिवहन में, --

(क) बारह घंटे से अधिक की यात्रा के मामले में परेषण के साथ परिचारक होगा ;

(ख) कुक्कुट वर्षा या सीधे हवा के झोंकों में नहीं रखे जाएंगे ;

(ग) यथासंभव कुक्कुट संवातन संबंधी पर्याप्त सुविधाओं वाले वेगनों में परिवहन किए जाएंगे और ऐसी किसी अन्य पण्य वस्तु जिसके कारण पक्षियों की मृत्यु हो सकती है, को उसी वेगन में नहीं लादा जाएगा ।

82. वायु मार्ग द्वारा यात्रा-- जब कुक्कुट वायु मार्ग द्वारा परिवहन में हो तो अन्तरराष्ट्रीय परिवहन के लिए कुक्कुट वाहक आधान दबाव युक्त कक्षों में नियमित नियंत्रित तापमान पर रखे जाएंगे और आधान वरीयता में दरवाजों के सामने रखे जाएंगे और पहुँचने के तत्काल पश्चात् उतार लिए जाएंगे ।

83. परिवहन के लिए आधान-- सड़क, रेल या वायु मार्ग द्वारा कुक्कुट के परिवहन में,-

(क) कुक्कुट के परिवहन में प्रयुक्त आधान ऐसी सामग्री से बने होंगे जो कि ढहने वाली या भंगुर न हो और अच्छे तरीके से संवातन और इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे कि कुक्कुट को पर्याप्त स्थान और सुरक्षा देकर उसके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें ;

(ख) आधान को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि पक्षियों की भीड़ परिवहन के दौरान किनारों पर पक्षियों की संभावित भीड़ को बचाया जा सके और डिब्बों को खतरे से बचाने के लिए तापमान पर इस प्रकार रखा जाएगा जिससे कि संवातन हो सके ;

(ग) सभी आधानों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगे होंगे जिस पर परेषिती या परेषण पर नाम, पता और टेलिफोन नंबर प्रदर्शित हो सके ;

(घ) नीचे दी गई सारणी में, प्रत्येक पक्षी के लिए न्यूनतम तलक्षेत्र और कुक्कुट के परिवहन के लिए आधानों की विमाणं नीचे दी गई है, अर्थात् :-

### सारणी

क्रम सं०	कुक्कुट का प्रकार	न्यूनतम				आधान में संख्या
		तल क्षेत्र वर्ग से०मी०	लंबाई	चौड़ाई	ऊँचाई	
i	एक मास के चिकिन	75	60	30	18	24
ii	तीन मास के चिकिन	230	55	50	35	12
iii	व्यस्क स्टॉक (हंस और पाताल मयूर के सिवाय)	480	115	50	45	12
iv	हंस और पाताल मयूर	900	120	75	75	10
		1300	75	35	75	2
		1900	55	35	75	1
v	चूजे	-	60	45	12	80
vi		-	60	45	12	60

84. चूजों और जीवक शिशुओं के लिए आधानों की विशेष अपेक्षाएं--सड़क, रेल या वायु मार्ग द्वारा कुक्कुट के परिवहन में,-

(क) आधानों के निचले भाग पर तार की जाली या किसी पदार्थ की जाली का उपयोग नहीं किया जाएगा ;

(ख) आधानों में समुचित रूप से सुरक्षित किया जाएगा जिससे चूजे न निकल सकें;

- (ग) निम्नलिखित अनुदेश लेबलों पर छापे जाएंगे और ढक्कन पर लगाए जाएंगे या सामने की ओर में छापे जाएंगे, अर्थात् “ परिवहन में सावधानी”;
- (घ) प्रेषिति को रेल परिवहन या उड़ान संख्यांक और उसके पहुँचने के समय की अंतरिम सूचना दी जाएगी ;
- (ङ) कुक्कुट का छः घंटे से अनधिक लगातार परिवहन नहीं किया जाएगा और प्रत्येक छः घंटे के अन्तराल पर पूरे बैच का निरीक्षण किया जाएगा;
- (च) परिवहन को तीस मिनट से अधिक के लिए खड़ा नहीं रखा जाएगा और इस अवधि के दौरान उसे छाया में खड़ा किया जाएगा और दाना और पानी का इंतजाम किया जाएगा ;
- (छ) आग के विरुद्ध सभी पूर्वावधानियां बरती जाएंगी और परिवहन में अग्निशामक की व्यवस्था का उपबंध किया जाएगा ।

### अध्याय 8

#### सूअरों का रेल या सड़क मार्ग द्वारा परिवहन

85. **परिभाषा-** इस अध्याय में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “सूअरों” में जंगली, सूअरों के शिशु और जंगली सूअरों के शिशु और सूअर परिवार के अन्य पशु सम्मिलित हैं ।
86. **यात्रा की अवधि-** छः घंटों से अधिक रेल या सड़क की यात्रा में सूअरों के परिवहन को नियम 87 से 95 लागू होंगे ।
87. **स्वास्थ्य प्रमाणपत्र-** (1) किसी पशु चिकित्सक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि सूअर रेल या सड़क द्वारा यात्रा के लिए ठीक दशा में हैं और वे संक्रामक या परजीवी रोगों से ग्रस्त नहीं हैं प्रत्येक सूअर के रेल या सड़क परेषण के साथ होगा ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र के अभाव में वाहक परिवहन के लिए परेषण स्वीकार करने से इंकार कर देगा ।
- (3) उपनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र अनुसूची (ट) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा ।
88. **परेषिती और परेषक की पहचान-** इस अध्याय के प्रयोजन के लिए -
- (क) प्रत्येक परेषण पर एक लेबल होगा जिस पर परेषिती और परेषक का लाल अक्षरों में नाम, पता और टेलिफोन नंबर (यदि कोई हो) परिवहन किए जा रहे सूअरों की संख्या और उनकी किस्म और उन्हें दिए जाने वाली रसद की मात्रा और खाद्यान्न ;
- (ख) परेषिती रेल या वाहक जिस पर सूअरों का परेषण भेजा गया है और उसके पहुँचने का समय अग्रिम रूप से सूचित करेगा;
- (ग) सूअरों के परेषण को अगली रेल या यान द्वारा बुक किया जाएगा और परेषण के बुकिंग स्वीकार करने के पश्चात् उसे रोका नहीं जाएगा ।
89. **प्राथमिक उपचार-** रेल या सड़क मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन में, —
- (क) सूअरों के साथ प्राथमिक उपचार उपस्कर होंगे ;
- (ख) सूअरों की लदाई और उतराई के लिए उपयुक्त रपटें उपलब्ध कराए जाएंगे ;

- (ग) रेल वेगन के मामले में जहाँ लदाई या उताराई प्लेटफार्म पर की जा रही हो तो वेगन के नीचे खुलने वाले दरवाजे का रपटे के रूप में उपयोग किया जाएगा ।
90. सूअरों का समूह- रेल या सड़क मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन में - युवा नर पशुओं को उसी कंार्टमेंट में मादा पशुओं के साथ नहीं मिलाया जाएगा ।
91. चारा और पानी की सुविधा- रेल या सड़क मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन में - यात्रा के दौरान अंत तक के लिए पर्याप्त खाद्यान्न और चारा ले जाया जाएगा और नियमित अन्तराल पर पानी की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी ।
92. यात्रा के दौरान फर्श पर गदियों लगाना - रेल या सड़क मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन में - पशुओं को ले जाने के दौरान चोटों से बचाए रखने के लिए फर्श पर भूसा जैसे पदार्थों की गदियाँ होंगी और ये 5 से0मी0 से कम मोटी नहीं होंगी ।
93. बेड़ियों पर पाबंदी- रेल या सड़क मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन में पशुओं को बेड़ियों नहीं लगाई जाएंगी जब तक कि उनके बाहर कुद जाने का जोखिम न हो और उनके पैरो को बांधा नहीं जाएगा ।
94. रेल मार्ग यात्रा के दौरान स्थान की अपेक्षा - रेल मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन की दशा में **द**  
(क) नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट संख्याओं से अधिक में सूअर रेल वेगन में समायोजित नहीं की जाएगी ।

### सारणी

बड़ी लाइन		मीटर लाइन		छोटी लाइन
(1)		(2)		(3)
वेगन का क्षेत्र	वेगन का क्षेत्र	वेगन का क्षेत्र	वेगन का क्षेत्र	
21.1 वर्ग मीटर से कम	21.1 वर्ग मीटर से अधिक	12.5 वर्ग मीटर से कम	12.5 वर्ग मीटर से अधिक	
सूअरों की संख्यांक	सूअरों की संख्या	सूअरों की संख्यांक	सूअरों की संख्या	अनुज्ञेय नहीं
35	50	25	30	

- (ख) प्रत्येक वेगन में पर्याप्त सम्वातन की व्यवस्था की जाएगी और वेगन के एक ओर का उपरी दरवाजा खुला रखा जाएगा ओर समूचित रूप से फिक्स किया जाएगा तथा वेगन के ऊपरी दरवाजे पर निकटतः वेल्ड की गई पतली तार की जाली की व्यवस्था होगी ताकि इंजन से निकलने वाली आग की चिंगारियों को वेगन में प्रवेश करने और उनसे आग लग जाने की संभावना को रोका जा सके ।
95. सड़क परिवहन के दौरान स्थान की अपेक्षा - सूअर सड़क द्वारा परिवहन में -
- (क) 5 या 4.5 टन क्षमता के माल यान में , जिन्हें साधारणतया पशुओं के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है बीस सूअरों से अधिक नहीं ले जाए जाएंगे ;
- (ख) बड़े माल यान और आद्यानों के मामलों में , प्रत्येक दो या तीन मीटर चौड़ाई में सूअरों की भीड़ और बांधने से रोकने के लिए विभाजित किया जाएगा ;
- (ग) सूअर छः सप्ताह की उम्र के हैं की दशा में, पृथक पैनल की व्यवस्था की जाएगी ।

## अध्याय 9

### प्रकीर्ण

96. **परिवहन के पूर्व प्रमाणपत्र को जारी करना-** (1) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त और प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या पशु कल्याण संगठन द्वारा किसी पशु के किसी व्यक्ति द्वारा परिवहन किए जाने से पूर्व के लिए वैध प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा उपापत्त किया जाएगा कि सभी सम्बन्धित केन्द्रीय और राज्य अधिनियम, नियम और अन्य आदेश के अधीन उक्त पशु के संबंध में परिवहन से सम्बन्धित नियमों का समुचित अनुपालन करता है, करेगा और पशु किसी नियम के उपबंधों के विपरीत किसी प्रयोजन के लिए परिवहन नहीं किए जाएंगे ;

(2) वाहक ऐसे प्रमाणपत्र के बिना परिवहन के लिए किसी प्रेषण को अस्वीकार कर देगा ।

**स्पष्टीकरण:-** इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगा ।

97. **परिवहन के लिए अनुज्ञा या प्राधिकरण का रद्दकरण -** (1) पशुओं के परिवहन के लिए इन नियमों में से किसी नियम के उल्लंघन या अननुपालन की दशा में, यदि वह लिखित में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्तियों या पशु कल्याण संगठन द्वारा बताया जाता है तो ऐसे परिवहन के लिए जारी किसी अनुज्ञा या प्राधिकरण को संबंधित प्राधिकारी तत्काल रद्द कर देगा और पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह मध्यवर्ती स्टेशन पर आगे परिवहन को रोक दे और ऐसे अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करे और पशु के साथ विधि के अनुकूल व्यवहार करे ।

(2) रेल वैगन ट्रक या अन्य किसी यान से उतारने के तत्काल पश्चात् पशुओं की अभिरक्षा किसी प्राधिकृत पशु कल्याण संगठन को यदि उपलब्ध हो, तब तक दी जाएगी प्राधिकारी या अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट उनकी देखरेख और अनुरक्षण का विनिश्चय न कर दे ।

98. **परिवहन की शर्तें -** (1) परिवहन किए जाने वाले पशुओं स्वस्थ और अच्छी दशा में होंगे और ऐसे पशुओं का परीक्षण पशु चिकित्सक द्वारा किया जाएगा कि वे संक्रामक रोगों से मुक्त हैं और यात्रा के लिए उपयुक्त हैं परंतु यह तब जब कि उपयुक्तता की मात्रा विनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि को ध्यान में रखा जाएगा ।

(2) जो पशु यात्रा के लिए अनुपयुक्त हैं उनका परिवहन नहीं किया जाएगा और जन्मे, बीमार, अन्ध, कृश, पंगु, परिश्रांत या पिछले बहतर घंटे के दौरान जन्म देने की संभावना वाले किसी पशु का परिवहन नहीं किया जाएगा ।

(3) गर्भवती और नवजात पशुओं को परिवहन के दौरान अन्य पशुओं के साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(4) विभिन्न वर्गों के पशुओं को परिवहन के दौरान अलग रखा जाएगा ।

(5) बीमार पशुओं को जब कभी उपचार के लिए उनका परिवहन किया जाए, अन्य पशुओं के साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(6) झगड़ागू पशुओं को परिवहन के लिए लदाई के पहले प्रशांतक दिए जाएंगे ।

(7) पशुओं का परिवहन उनके आन-फार्म समाजिक समूहों में किया जाएगा (जो यात्रा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्थापित किए जाएंगे) ।”

3. उक्त नियमों में अनुसूची अ के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“ अनुसूची ट

(नियम 87 (3) देखिए)

यात्रा के लिए सूअर का आरोग्यता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा

(यह प्रमाणपत्र पशु चिकित्सक द्वारा पूर्ण और हस्ताक्षरित किया जाए।)

परीक्षा की तारीख और समय \_\_\_\_\_

पशुओं की प्रजाति \_\_\_\_\_

पशुओं की संख्या \_\_\_\_\_

लिंग \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने, पशुओं का परिवहन नियम 1978 का अध्याय VIII के नियम 86 से 95 तक पढ़ लिए हैं।

1. (प्रेषिती) \_\_\_\_\_ के अनुरोध पर, मैंने उपरोक्त वर्णित पशुओं का उनके प्रस्थान से बारह घंटे से अनधिक में परीक्षण कर लिया है।
2. वे सभी रेल/सड़क/समुद्र द्वारा यात्रा के लिए ठीक दशा में प्रतीत होते हैं और किसी संक्रामक या संसर्ग या परजीवी बीमारी (बीमारियों) से ग्रसित होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है और किसी संक्रामक या संसर्ग बीमारी (बीमारियों) के विरुद्ध टीका लगाया गया है।
3. पशुओं को यात्रा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त चारा और पानी दिया गया है।
4. पशुओं को टीका लगाया गया है।
  - (क) वैक्सीन का प्रकार:
  - (ख) टीका लगाने की तारीख:

तारीख \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

अर्हता \_\_\_\_\_ ”

[ फा. सं. 19/1/2000-ए डब्ल्यू डी ]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 18-6/70 एलडीआई तारीख 23-3-1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2001

**S.O. 269 (E).**— Whereas certain draft rules further to amend the Transport of Animals Rules, 1978, were published as required by sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), under the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice & Empowerment number S.O. 1164 (E) dated 26<sup>th</sup> December, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) dated the 27<sup>th</sup> December, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public:

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1<sup>st</sup> January, 2001

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Transport of Animals Rules, 1978, namely -

1. (1) These rules may be called the **Transport of Animals (Amendment) Rules, 2001**.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. **In the Transport of Animal Rules, 1978 (hereinafter referred to as the said rules), after chapter VI, the following Chapters shall be inserted, namely -**

**“Chapter VII**

**TRANSPORT OF POULTRY BY RAIL, ROAD AND AIR**

- 76 **Definition -** In this Chapter, unless the context otherwise requires, “Poultry” includes day old chicks and turkey poults, chickens, quails, guinea fowls, ducks, geese and turkeys.

77. **General requirement – In transport of poultry by rail, road or air. -**
- (a) the containers shall be properly cleaned and sterilised before the poultry is placed in them;
  - (b) poultry shall not be exposed to the sunlight, rain and direct blast of air during transport,
  - (c) poultry shall not be transported when the temperature exceeds 25 degree Celsius or when the temperature falls below 15 degree Celsius.

78. **Day-old chicks and turkey poult**s - In transport of day old chicks and poultry by rail, road and air-
- (a) chicks and poults shall be packed and dispatched immediately after hatching and shall not be stored in boxes for any length of time before dispatch.

**Note: In the said transport endeavour shall be made by the consigner or his agent so that consignments shall arrive at destination within the shortest possible time after being taken out of the incubator. Seventy two hours shall normally be regarded as the maximum period to be taken from incubator to brooder in winter and 48 hours in summer;**

- (b) chicks or poults shall not be fed or watered before and during transportation;
- (c) every effort shall be made to ensure that chicks and poults arrive as quickly as possible at the dispatching site;
- (d) personal attention shall be given by the consignor or the forwarding agent to ensure that all consignments are kept out of direct sunlight, rain and heat;
- (e) care shall be taken to carry the boxes in a level position so that chicks are not in danger of falling over on to their backs and the putting up of other merchandise over and around chick boxes shall be avoided

79. **Poultry other than day-old chicks and turkey poult**s- In transport of poultry other than day old chicks and turkey poult by rail, road or air -

- (a) the poultry to be transported shall be healthy and in good condition and shall be examined and **certified** by a veterinary doctor for freedom from infectious diseases and fitness to undertake the journey.
- (b) poultry transported in the same container shall be of the same species and of the same age group,
- (c) poultry shall be properly fed and watered before it is placed in containers for transportation and extra feed and water shall be provided in suitable troughs fixed in the containers;
- (d) arrangements shall be made for watering and feeding during transportation and during hot weather, watering shall be ensured every six hours.
- (e) male stock shall not be transported with female stock in the same container

80. **Road Travel-** In transport of poultry by road the container shall not be placed one on the top of the other and shall be covered properly in order to provide light, ventilation and to protect from rain, heat and cold air.
81. **Rail Travel-** In transport of poultry by rail , -  
 (a) in case the journey is for more than twelve hours, an attendant shall accompany the consignment;  
 (b) poultry shall not be exposed to rain or direct blast of air;  
 (c) as far as possible poultry shall be transported in wagons having adequate facilities for ventilation and no other merchandise which may result in mortality of birds shall be loaded in the same wagon.
82. **Air travel-** In transport of poultry by air or for international transport the containers carrying poultry shall be kept in pressurised compartments with regulated temperature and the container shall preferably be kept near the door and shall be unloaded immediately on arrival.
83. **Containers for transportation -** In transport of poultry by rail, road or air -  
 (a) containers used to transport poultry shall be made of such material which shall not collapse or crumble and they shall be well ventilated and designed to protect the health of poultry by giving it adequate space and safety.  
 (b) the containers shall be so designed as to render it impossible for birds to crowd into the corners during transportation, and to avoid the danger of boxes being stocked so close together as to interfere with ventilation;  
 (c) all the containers shall be clearly labelled showing the name, address and telephone number of the consignor and the consignee;  
 (d) the minimum floor space per bird and the dimensions of the containers for transporting poultry shall be as specified in the Table below, namely :-

**TABLE**

S.No.	Kind of Poultry	Minimum Floor space cm <sup>2</sup>	Dimension			Number in a container
			Length cm	Width cm	Height cm	
i)	Month old chickens	75	60	30	18	24
ii)	Three month old chickens	230	55	50	35	12
iii)	Adult stock (excluding geese and turkeys)	480	115	50	45	12
iv)	Geese and turkeys	900	120	75	75	10 youngs
		1300	75	35	75	2 Growing
		1900	55	35	75	1 grown up
v)	Chicks	-	60	45	12	80
vi)	Poult	-	60	45	12	60

84. **Special requirement of containers for chicks and poults-** In transport of poultry by road, rail or air-
- (a) wire mesh or a net of any material shall not be used as a bottom for the containers;
  - (b) the container shall be properly secured to avoid pilferage;
  - (c) the following instruction shall be printed on a label and fixed to the lid or printed directly on sides, namely "Care in Transit";
  - (d) the consignee shall be informed about the train, transport or flight number and its time of arrival well in advance;
  - (e) poultry shall not be transported continuously for more than 6 hours and whole batch shall be inspected at every 6 hours interval;
  - (f) the transportation shall not remain stationary for more than 30 min and during this period, it shall be parked in shade and arrangements shall be made for feeding and watering;
  - (g) all precautions against fire shall be taken and provision of fire extinguishers in transport shall be provided.

### CHAPTER- VIII

#### **TRANSPORT OF PIGS BY RAIL OR ROAD**

85. **Definition-** In this Chapter, unless context otherwise requires, "pigs" includes piglets, hogs, hoglets and animals of pigs family.
86. **Duration of travel -** Rules 87 to 95 shall apply to the transport of pigs by rail or road involving journeys of more than six hours.
87. **Health certificate-** (1) A valid health certificate by a veterinary doctor to the effect that the pigs are in a fit condition to travel by rail or road and are not suffering from infectious or contagious or parasitic disease shall accompany each consignment in the transport of pigs by rail or road.
- (2) In the absence of a certificate under sub-rule (1), the carrier shall refuse to accept the consignment for transport
- (3) The certificate under sub rule (1) shall be in a form specified in Schedule K.
88. **Identification of consignor and consignee -** For the purpose of this Chapter -
- (a) each consignment shall bear a label showing in bold red letters the name, address and telephone number (if any) of the consignor and consignee, the number and type of pigs being transported and quantity of rations and food provided to them;
  - (b) the consignee shall be informed in advance about the train or vehicle in which the consignment of pigs is being sent and its arrival time
  - (c) the consignment of pigs shall be booked by the next train or vehicle and shall not be detained after the consignment is accepted for booking.

89. **First aid-** In transport of pigs by rail or road -
- first-aid equipment shall accompany the pigs;
  - suitable ramps shall be provided for loading and unloading the pigs;
  - in the case of a railway wagon, when the loading or unloading is done on the platform the dropped door of the wagon shall be used as a ramp.
90. **Group of pigs-** In transport of pigs by rail or road, male young stock shall not be mixed with female stock in the same compartment.
91. **Facility of food and water-** In transport of pigs by rail or road, sufficient food and fodder shall be carried to last during the journey and watering facility shall be provided at regular intervals.
92. **Padding of floor during travel-** In transport of pigs by rail or road, material for padding, such as straw, shall be placed on the floor to avoid injury if an animal lies down, and this shall be not less than 5 cm thick.
93. **Ban on fettering-** In transport of pigs by rail or road, the animals shall not be fettered unless there is a risk of their jumping out and their legs shall not be tied down.
94. **Space requirement during rail travel-** In transport of pigs by rail,-
- no railway wagon shall accommodate more than the number of pigs as specified in the Table below:-

TABLE

Broad gauge (1)		Metre gauge (2)		Narrow gauge (3)
Area of Wagon	Area of Wagon	Area of Wagon	Area of wagon	
Less than 21 1 Square Meters	More than 21 1 Square Meter	Less than 12.5 Square Meter	More than 12.5 Square Meter	
Number of pigs:	Number of pigs:	Number of pigs:	Number of Pigs:	
35	50	25	30	not allowed

- (b) adequate ventilation shall be provided in every wagon and the upper door of one side of wagon shall be kept open and properly fixed and the upper door of the wagon shall have wire gauge closely welded mesh arrangements to prevent burning cinders from the engines entering the wagon and leading to fire breakout.

95. **Space requirement during road travel .-** In transport of pigs by road,-

- (a) goods vehicles of capacity of 5 or 4.5 tons, which are generally used for transportation of animals, shall carry not more than twenty pigs;
- (b) in the case of large goods vehicles and containers, partition shall be provided at every two or three metres across the width to prevent the crowding and trapping of pigs,
- (c) in the case of pigs under six weeks of age, separate panels shall be provided.

**CHAPTER IX  
MISCELLANEOUS**

96. **Issue of certificate before transportation .-** (1) A valid certificate issued by an officer or any person or Animal Welfare Organisation duly recognised and authorised for this purpose by the Animal Welfare Board of India or the Central Government shall be procured by any person making transport of any animal before transportation of such animal verifying that all the relevant Central and State Acts, rules and orders pertaining to the said animals including the rules relating to transport of such animals have been duly complied with and that the animal is not being transported for any purpose contrary to the provision of any law.

(2). In the absence of such certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment for transport.

**Explanation** For the purposes of this rule the certificate shall be issued in such form as may be specified for this purpose by the Central Government

97. **Cancellation of permit or authorisation for transport -** (1) In the event of contravention or non compliance of any of the rules contained in these rule for transport of animals, if it is pointed out in writing by any officer or persons or Animal Welfare Organisation authorised for this purpose by the Animal Welfare Board of India or the Central Government, then, any permit or authorisation issued for such transport shall be immediately cancelled by the concerned authority and it shall be the duty of the police to stop the further transport even from the intermediary station and proceed against the said offenders and deal with the animal in accordance with law.

- (2) The custody of the animals immediately after unloading from the rail wagons, truck or any other vehicle shall be given to the authorised Animal Welfare Organisation if available, till the competent authority or the magistrate having jurisdiction decides about their care and upkeep.

98. **General conditions of transport .-** (1) Animals to be transported shall be healthy and in good condition and such animals shall be examined by a veterinary doctor for freedom from infectious diseases and their fitness to undertake the journey; provided that the nature and duration of the proposed journey shall be taken into account while deciding upon the degree of fitness.

- (2) An animal which is unfit for transport shall not be transported and the animals who are new born, diseased, blind emaciated, lame, fatigued or having given birth during the preceding seventy two hours or likely to give birth during transport shall not be transported.
- (3) Pregnant and very young animals shall not be mixed with other animals during transport
- (4) Different classes of animals shall be kept separately during transport
- (5) Diseased animals, whenever transported for treatment, shall not be mixed with other animals.
- (6) Troublesome animals shall be given tranquilisers before loading during transport.
- (7) Animals shall be transported in their on-farm social groups (established atleast one week prior to journey)"

3. In the said rules, after Schedule J, the following Schedule shall be inserted namely:-

**“SCHEDULE K**  
(see rule 87(3))

Proforma for certificate of fitness to travel Pigs

(This certificate should be completed and signed by a Veterinary doctor )

Date and time of examination \_\_\_\_\_  
Species of Animals \_\_\_\_\_  
Number of Animals \_\_\_\_\_  
Sex \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_

I hereby certify that I have read Rules 86 to 95 in Chapter VIII of the Transport of Animals Rules, 1978

1. That, at the request of (consignor) \_\_\_\_\_ I examined the above mentioned animals not more than 12 hours before their departure.
2. That each appeared to be in a fit condition to travel by rail/road/sea and is not showing any signs of any infectious or contagious or parasitic disease(s) and that it has been vaccinated against any infectious or contagious disease(s).
3. That the animals were adequately fed and watered for the purpose of the journey
4. That the animals have been vaccinated
  - (a) Type of vaccine(s)
  - (b) Date of vaccination:

Date \_\_\_\_\_

Signed \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

Qualification \_\_\_\_\_

[F. No. 19/1/2000-AWD]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in Gazette of India vide Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), Krishi Bhavan, New Delhi number 18-6/70 LDI dated 23-3-1978.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च 2001

का. आ. 270 (अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2000 का एक प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 50) की धारा 38 की उपधारा (1) अपेक्षानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1165 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 दिसम्बर, 2000 में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियों जनता को उपलब्ध करा दी जाती है साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियों जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बाबता, जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा 1 और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 है।
    - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
    - (क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;
    - (ख) "वध" से खद्य के प्रयोजन के लिए किसी पशु को मारना या उसका नाशन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सभी ऐसे पशुओं पर वध किए जाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से की जाने वाली सभी प्रक्रियाएं और प्रचालन भी हैं;
    - (ग) "वधशाला" से वह वधशाला अभिप्रेत है जहां प्रति दिन 10 या 10 से अधिक पशुओं का वध किया जाता है और जो किसी केंद्रीय या राज्य या प्रांतीय अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सम्यक रूप से अनुज्ञात या मान्यताप्राप्त है।
    - (घ) "पशु चिकित्सक" से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
  3. मान्यताप्राप्त या अनुज्ञात वध शालाओं को छोड़कर अन्य स्थानों पर पशुओं का वध नहीं किया जाएगा,—(1) कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी पशु का, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन सशक्त किए गए सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा, वैसा किए जाने के लिए मान्यताप्राप्त या अनुज्ञात वधशाला को छोड़कर अन्यत्र वध नहीं करेगा;
    - (2) किसी पशु का, जो :—
      - (i) समर्भ है; या
      - (ii) जन्मका तीन मास से कम आयु का बच्चा है; या
      - (iii) तीन मास से कम आयु का है; या
      - (iv) पशुचिकित्सक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि वध किए जाने योग्य स्थिति में है,
- वध नहीं किया जाएगा।

- (3) केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजना के लिए विभिन्न नगरपालिका का अन्य स्थानीय प्राधिकारी वधशाला की क्षमता और उस क्षेत्र की स्थानीय जनसंख्या, जहां वधशाला स्थित है, को ध्यान में रखते हुए एक दिन में वध किए जा सकने वाले अधिकतम पशुओं की संख्या अवधारित करेगा।
- (4) प्रतिग्रहण क्षेत्र या विश्राम स्थल (1) वधशाला के पास, पशु चिकित्सा निरीक्षण के अधीन रहते हुए, उपयुक्त आकार का पशु धन के लिए पर्याप्त प्रतिग्रहण क्षेत्र होना चाहिए।
- (2) पशु चिकित्सक एक घंटे में 12 पशुओं से अनधिक और एक दिन में 96 पशुओं से अनधिक की पूर्ण रूप से जांच करेगा।

- (3) पशुचिकित्सक पशु की जांच करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा, इस प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में आरोग्य प्रमाणपत्र देगा।
  - (4) वधशाला के प्रतिग्रहण क्षेत्र में वाहनों या रेल वैनों से पशुओं की सीधी उतराई के लिए उपयुक्त ढलान होनी चाहिए और उक्त प्रतिग्रहण क्षेत्र में पशुओं के आहार और पानी के लिए पर्याप्त समुचित सुविधाएं होनी चाहिए।
  - (5) वधशाला में ऐसे पशुओं, जिनके बारे में सन्देह है कि वे सांसर्गिक और संक्रामक रोगों से ग्रस्त हैं, और झगड़ालू पशुओं के लिए उन्हें शेष पशुओं से अलग करने के उद्देश्य से पानी और आहार के इंतजाम के साथ पृथक विसंबंधन बाड़े होने चाहिए।
  - (6) वधशाला में वध किए जाने वाले पशुओं के वर्ग के अनुसार पर्याप्त रखाव क्षेत्र का उपबंध होना चाहिए और उक्त रखाव क्षेत्र में पानी और आहार की सुविधाएं होनी चाहिए।
  - (7) वधशाला में विश्रामस्थलों पर ऊपर सुरक्षात्मक ओट होनी चाहिए।
  - (8) वधशाला में वधपूर्ण और बाड़ा क्षेत्र में अद्येय सामग्री अर्थात्:- फिसलनरहित हैरिंग जोन प्रकार की कंकरीट, जो खुशों द्वारा टूट-फूट सह सकने योग्य हो, या ईंट का खड़ंगा होगा और उसमें उपयुक्त जल निकास सुविधाएं बनी होनी चाहिए। उक्त अद्येय सामग्री के किनारों, जिनकी ऊंचाई 150 से 300 मि. मी. हो, का पशुधन के बाड़ा क्षेत्र की मेड़ के चारों ओर, प्रवेशमार्ग को छोड़कर, उपबंध किया जाएगा और उक्त बाड़ा अधिमान्यतः ढकी हुई होनी चाहिए।
- (5) पशु विश्रामिकाएं :— (1) प्रत्येक पशु, पशुचिकित्सक के निरीक्षण के बाद, वध किए जाने से पूर्व 24 घंटे के विश्राम के लिए पशु विश्रामिका में रखा जाएगा।
- (2) वधशाला की विश्रामिका उपयुक्त आकार की होगी जो विश्रामिका में रखे जाने वाले पशुओं के लिए पर्याप्त हो।
  - (3) ऐसी विश्रामिका के बाड़ों में उपबंधित स्थान प्रत्येक बड़े पशु के लिए 2.8 वर्गमीटर से और प्रत्येक छोटे पशु के लिए 1.6 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।
  - (4) उक्त विश्रामिकाओं में रखे जाने वाले पशु उनकी किस्म और वर्ग पर निर्भर करते हुए पृथक रूप से रखे जाएंगे और ऐसी विश्रामिका का संनिर्माण इम प्रकार का होगा कि गर्मी, सर्दी और वर्षा से पशुओं का बचाव हो जाए।
  - (5) विश्रामिका में पानी और पशु मृत्यु निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी।
6. वध— (1) वधशाला में किसी भी पशु का वध अन्य पशुओं के सामने नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी पशु को, इसके किसी विनिर्दिष्ट रोग या बीमारी से उपचार को छोड़कर वध किए जाने से पूर्व कोई रसायन औषधि या हारमोन नहीं दिया जाएगा।
  - (3) वधशाला के वधस्थानों में उपयुक्त विभागों के पृथक-पृथक ऐसे खंडों का उपबंध किया जाएगा जो व्यक्तिमः पशु के वध के लिए पर्याप्त हो जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वध किए जाने वाला पशु, अन्य पशुओं की दृष्टि में नहीं आए।
  - (4) प्रत्येक वधशाला में यथासंभव शीघ्र, वध, रक्त प्रवाह और दरेसी किए जाने से पूर्व पशुओं को अचेत करने के लिए पृथक स्थान का उपबंध होगा।
  - (5) वधशाला का प्रहार खंड इस प्रकार बनाया जा सकता है जो पशु के और विशेष रूप से धार्मिक वध, यदि कोई हो, के अनुकूल हो और ऐसा प्रहार खंड और उसके साथ रखे जाने का शुष्क स्थान इस प्रकार बना होगा कि बिना कटा-छंटा शव किसी प्रचालक द्वारा, पशुशव को निकास थेरियर से जाने दिए बिना, इस खंड से सुगमता से निकाला जा सके।
  - (6) वधशाला में, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त आकार के ढलवां रक्त-प्रवाह क्षेत्र का उपबंध होगा और इसकी स्थिति ऐसी होगी कि रक्त, वध किए जा रहे अन्य पशुओं या चर्म उतारने की क्रिया के अधीन कटे-छंटे शवों पर न गिरे।
  - (7) वधशाला में रक्त की नाली और संग्रहण अव्यवहित और समुचित होना चाहिए।
  - (8) वधशाला में फर्श धोने के पाइंट का आन्तरायिक सफाई के लिए उपबंध किया जाएगा और प्रहारक को आवधिक रूप से चाकू को रोगाणुरहित करने और अपने हाथ धोने के लिए, हाथ धोने का बेसिन और चाकू को रोगाणुरहित करने वाले घोल का भी उपबंध होगा।
  - (9) किसी वधशाला में पशुओं की दरेसी फर्श पर नहीं की जाएगी और वधशाला में पशुओं का चमड़ा उतारने या धरने के लिए समुचित साधन और औजारों के साथ चमड़ों या चर्मों के तुरन्त निपटान के लिए साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- (10) चमड़ा या चर्म तत्काल वधशाला से या तो बंद एक पहिया टेला में या स्वतः बंद होने वाले दरवाजे सहित किसी ठालु प्रणाली द्वारा ले जाया जाएगा और किसी दशा में ऐसा चमड़ा या चर्म निरीक्षण के लिए वध वाले फर्श पर बिखेरा नहीं जाएगा।
- (11) फर्श, धुलाई स्थल और पर्याप्त संख्या में निष्क्रीटक सहित हाथ धोने के बेसिनों का वधशाला के दरेसी क्षेत्र में पशुओं की टांगों, सींगों, उनके अफरा और अन्य अंगों को तत्काल निपटाने के साधनों का, कमानी भार पटलों या सरकवां दरवाजों या बंद एक पहिया टेला के माध्यम से, उपबंध किया जाएगा और यदि किसी वधशाला में एक पहिया टेला या ट्रकों का प्रयोग किया जाता है तो इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि स्थल पर एक पहिया टेला या ट्रक, दरेसी रेलों के नीचे नहीं चलाया जाता है और ट्रकों के आवागमन के लिए साफ रास्ते का उपबंध किया जाता है।
- (12) किसी वधशाला में वध किए गए विभिन्न प्रकार के पशुओं के ब्रिमिरे के निरीक्षण के लिए समुचित पर्याप्त स्थान तथा उपयुक्त और उचित रूप से अवस्थित सुविधाओं का उपबंध किया जाएगा और उसमें हाथ धोने, औजारों के विसंक्रमीकरण, फर्श की धुलाई और कंडम की गई सामग्री के तत्काल पृथक्करण और निपटान के लिए युक्तियों की समुचित प्रसुविधाएं होंगी।
- (13) वधशाला के स्वामी द्वारा वधशाला में पशु शव, सिर और सिर की पहचान, निरीक्षण और सहसम्बन्ध के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे।
- (14) किसी वधशाला में ऐसे बक्रकार और पृथक रूप से जल निकास क्षेत्र का या पर्याप्त आकार वाले क्षेत्र का, जिसमें फर्श नाली की ओर प्रति मीटर 33 मिलीमीटर का ढलान होना चाहिए; जहां पशु शवों को पानी की धार से धोया जाए, ऐसे वधशाला के स्वामी द्वारा उपबंध किया जाएगा।
7. **वधशाला भवन**—किसी वधशाला भवन के विभिन्न सनिमाण, उसके स्वामी द्वारा, नीचे यथा विनिर्दिष्ट रीति से निर्मित किए जाएंगे और बनाए रखे जाएंगे अर्थात् :—
- (क) **संयंत्र भवन**—(i) प्रयोग की गई सामग्री अभेद्य, आसानी से साफ करने योग्य और छीजन तथा क्षरण रोधी होगी। (ii) काष्ठ, प्लास्टरबोर्ड और छिद्रितध्वनिल बोर्ड जैसी सामग्री का जो अवशोषक और साफ रखने में कठिन है, प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (ख) **फर्श**—फर्श अनवशोषक और गैर फिसलन वाली खुरदरे फिनिश के होंगे और जल निकास के लिए उपयुक्त ढाल होगा।
- (ग) **लघु निवेशिकाएं**—स्वच्छता बनाए रखने के लिए पर्याप्त त्रिज्या वाली लघु निवेशिकाएं सभी कक्षों में फर्शों और दीवारों के जोड़ों पर संस्थापित की जाएंगी और वे 100 मिलीमीटर से कम नहीं होंगी;
- (घ) **भीतरी दीवारें**—(i) भीतरी दीवारें चिकनी और सपाट होंगी तथा काचित ईट, काचित टाइल, सपाट मतह पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर जैसी अभेद्य सामग्री से या अन्य विषहीन, अनतशोषक सामग्री को उपयुक्त आधार से लगाकर संनिर्मित की जाएंगी। (ii) दीवारों का, हाथ टेलों पशु शव नरहरों द्वारा नुकसान से बचाने के लिए उपयुक्त सफाई किस्म के टक्कर रोक का उपबंध किया जाएगा। (iii) भीतरी दीवारों की फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई तक की सतह धोने योग्य होगी ताकि छोटों को धोया और रोगाणु मुक्त किया जा सके।
- (ङ) **भीतरी छत**—(i) कार्य के कमरों में भीतरी छतों की ऊंचाई 5 मीटर या उससे अधिक होगी और जहां तक संरचनात्मक दशाएं अनुज्ञात करें, भीतरी छतें चिकनी और सपाट होंगी। (ii) भीतरी छतें पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर, बड़े आकार के सीमेंट एसबेसटाम बोर्डों से संनिर्मित की जाएंगी और उनके जोड़ किसी नम्य सीलिंग यौगिक या अन्य ग्राह्य अभेद्य सामग्री से सील और फिनिश किए जाएंगे ताकि संघनन, फफुंद वृद्धि पपड़ी और धूल का संघनन कम से कम हो। (iii) काचित किस्म के भाग के ऊपर की दीवारों और भीतरी छतें उन्हें साफ बनाए रखने के लिए जलरोधी पेंट से पेंट की जाएंगी।
- (च) **खिड़की फलक**—खिड़की फलक में सफाई बढ़ाने के लिए पैंतालीस डिग्री पर ढलान रखा जाएगा और हाथ टेलों और वैसे ही उपकरण के संघात से खिड़कियों के कांच को नुकसान से बचाने के लिए फर्श के स्तर से 12 सौ मिलीमीटर के ऊपर खिड़कियों की दहलीज रखने के साथ यांत्रिक निकास या काम चलाऊ निकास के माध्यम से समुचित संघातन के लिए छत की संरचना में उपबंध किया जाएगा।
- (छ) **चौखट और दरवाजे**—(i) वे द्वार जिनसे होकर उत्पाद, रेलों या हाथ टेलों में अन्तरित किया जाता है, कम से कम 15 सौ मिलीमीटर ऊंचे और कम से कम 15 सौ मिलीमीटर चौड़े होंगे। (ii) दरवाजे या तो पूरी तरह जंग रोधी धातु संनिमाण के होंगे या यदि वे कठोर साफ्टवुड सहित जंग रोधी धातु के बने हैं तो उन्हें टांके वाली या ब्रेड को गई संघियों के साथ दोनों ओर से ढका जाएगा। (iii) दरवाजों के बाजू धातु से अच्छी तरह ढक कर लिपकाए जाएंगे जिसमें कि धूल या कीड़े-मकोड़ों के लिए विदरिकाएं न रह सकें और वे जोड़, जिन पर दरवाजा दीवारों से जुड़ता है, नम्य सीमिंग यौगिक से प्रभावी तौर पर सील किए जाएंगे।

- (ज) **परदे और कीट नियंत्रण**—सभी खिड़कियों, दरवाजे और अन्य निकासों पर, जहां से मक्खियां प्रवेश कर सकती हैं, प्रभावी कीट और कृन्तक रोधी परदे लगाए जाएंगे और ऐसे साथ हेडविंग क्षेत्रों की, जिनका प्रयोग भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बाहरी दीवारों में दरवाजे पर फ्लाई चेजर पंखों और नलिकाओं या वायु परदों का उपबंध किया जाएगा।
- (झ) **कृन्तक रोधन**—ठोस घिनाई कार्य की दशा में के सिवाए, काचित टाइल, काचित ईट और वैसी ही सामग्री से संनिर्मित दीवारों में विस्तारित धातु या तार के जालरंध्र, जो 12.5 मिलीमीटर से अधिक न हो, दीवारों और फर्श में उनके जोड़ पर जड़े जाएंगे और ऐसे जालरंध्र, चूहों और अन्य कृन्तकों के प्रवेश से बचने के लिए पर्याप्त दूरी तक उर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से लगाए जाएंगे।
- (ञ) **ट्रकों के लिए यानीय क्षेत्र**—(i) समुचित नाली मुक्त और भवन से कम से कम 6 मीटर तक कंक्रीट बिछा क्षेत्र, लदाई डाक या जीव-जन्तु प्लेट फार्मों का उन स्थानों पर उपबंध किया जाएगा जहां यानों की लदाई या उतराई की जाती है। (ii) पशुओं को ढोने वाले ट्रकों के लिए ऐसे स्थानों पर दाब धुलाई जेटों और विसंक्रमण प्रसुविधाओं का भी उपबंध किया जाएगा।
- (ट) **जल निकास**—(i) फर्श के उन हिस्सों पर जहां आर्द्र संक्रियाएं की जाती हैं अच्छा जल निकास होगा और यथासंभव फर्श स्थान के प्रत्येक 37 वर्गमीटर के लिए एक जल निकास निवेश का उपबंध किया जाएगा। (ii) प्रायिक दशाओं के लिए जल निकास निवेशों तक लगभग 20 मिलीमीटर प्रति मीटर ढलान का भी उपबंध किया जाएगा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फर्श की ढलाने नालियों तक एक समान हों, उनमें ऐसे कई गड्ढे हों जिनमें द्रव एकत्रित हो सके (iii) फ्रीजर कमरों या शुष्क भंडारण क्षेत्रों में फर्श नालियां नहीं होंगी और जब फर्श नालियों उन कमरों में संस्थापित की जाती हैं जहां चौरगड्ढों में जल सील के पूर्व भराई के बिना वाष्पित होने की संभावना है, वहां उपयुक्त हटाने जाने योग्य धातु के पेंच प्लग की व्यवस्था की जाएगी।
- (ठ) **जल निकास लाइनों पर चोरगड्ढे और छिद्र**—(i) प्रत्येक फर्श नाली को, जिसमें रक्त नालियां भी हैं एक गहरी सील टेप (पी- , या एल-आकार) से संस्थित किया जाएगा। (ii) जल निकास लाइनें उचित रूप से बाहरी वायु के लिए छिद्रल की जाएंगी और उन पर प्रभावी कृन्तक जालियां लगाई जाएंगी।
- (ड) **सफाई जल निकास लाइनें**—संयंत्र के भीतर शौचालय पैन और मूत्रालयों की जल निकास लाइनें, अन्य जल निकास लाइनों के साथ जोड़ी नहीं जाएंगी और उन्हें ग्रीजकैच बेसिन में जोड़ा नहीं जाएगा और ऐसी लाइनें संस्थापित की जाएंगी जिसमें यदि रिसन बड़े तो उससे उत्पाद या उपस्कर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ढ) **प्रकाश व्यवस्था और संचालन**—(i) अशीतित कार्य कक्षों में पर्याप्त सीधे प्राकृतिक प्रकाश और संवातन की अथवा यांत्रिक साधनों द्वारा प्रचूर कृत्रिम प्रकाश और संवातन का उपबंध किया जाएगा। (ii) रोशनदानों और खिड़कियों में रंगहीन कांच का, जिसमें प्रकाश का अधिक पारगमन हो, प्रयोग किया जाएगा। (iii) किसी कार्य कक्ष में कांच वाला क्षेत्र, फर्श का लगभग एक चौथाई होगा और ऐसा अनुपात वहां बढ़ा दिया जाएगा जहां पार्श्वस्थ भवन, शिरोपरी सांकरी और उत्तोलन जैसे अवरोध होंगे। (iv) अच्छी क्वालिटी का वितरित कृत्रिम प्रकाश और उतनी दूरी पर जितना केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, सभी स्थानों पर जहां पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध नहीं है या अपर्याप्त है, लगाया जाएगा।
- (ण) प्रत्येक बूचड़खाने में वध स्थान कक्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 200 लक्स से अन्यून समग्र तीव्रता के वितरित कृत्रिम प्रकाश का उपबंध किया जाएगा और उन स्थानों पर जहां मांस का निरीक्षण किया जाता है, कृत्रिम प्रकाश की समग्र तीव्रता 500 लक्स से अन्यून होगी।
- (त) प्रत्येक वधशाला में बाहरी वायु के संवातन के उचित और पर्याप्त साधनों का उपबंध किया जाएगा और वधहाल का सन्निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि बरेसी किए गए पशु शव सीधे सूर्य के प्रकाश के सामने न पड़ें।
- (थ) सम्पूर्ण परिसरों में ताजे जल का पर्याप्त, सुरक्षित, पेय और सतत प्रदाय उपलब्ध होगा।
- (द) फर्श की धुलाई के सामान्य प्रयोजन के लिए दबाव अधिमानतः सम्पूर्ण फर्श की धुलाई के लिए 200 से 330 के पी ए रहेगा।
- (ध) पशु शवों की पूर्ण और प्रभावी धुलाई के लिए, 1000 के पी ए से 1700 के पी ए तक के बीच उचित दबाव रखा जाएगा।
- (न) वध के फर्श और कार्य विभागों पर अधिमानतः कम से कम 37 वर्ग मीटर के लिए फर्श धुलाई बिन्दु का उपबंध किया जाएगा।
- (प) काम के घंटों के दौरान वधहाल और कार्य कक्षों में साफ गर्म जल का सतत प्रदाय उपलब्ध रहेगा और उपकरण को बार-बार विसंक्रमित करने के लिए अपेक्षित गर्म जल 82 डिग्री सेल्शियस से कम नहीं होगा।
- (फ) जहां सफाई के रख-रखाव के लिए आवश्यक हो, उपकरण सन्निर्मित और संस्थापित किए जाएंगे ताकि पूर्णतः सफाई होती रहे।
- (ब) किसी बूचड़खाने में निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—
- (i) खाद्य उत्पादों के लिए प्रयुक्त उपकरण में ताम्बा और उसकी मिश्रण धातु,
- (ii) खाद्य पदार्थों को उठाने धरने के उपकरण में किसी रूप में अरगजी।
- (iii) उत्पाद जोन में रंजित सतह वाले उपकरण।

- (iv) तामचीनी के आदान या उपकरण चाँछनीय नहीं है, और
- (v) सीसा;
- (भ) सभी स्थायी रूप से माउंट किए गए उपकरण, सफाई और निरीक्षण के लिए पहुंच की व्यवस्था हेतु दीवारों से पर्याप्त रूप से दूर (कम से कम 300 मिलीमीटर) संस्थापित किए जाएंगे।
- (म) सभी स्थायी रूप से माउंट किए गए उपकरण, सफाई और निरीक्षण के लिए पहुंच की व्यवस्था हेतु फर्श से पर्याप्त रूप से ऊपर (कम से कम 300 मिलीमीटर) संस्थापित किए जाएंगे या पूरी तरह फर्श क्षेत्र में सील (जलरोधी) किए जाएंगे;
8. वधशाला में नियोजन—
- (1) किसी वधशाला का स्वामी या अधिभोगी, पशुओं का वध करने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं करेगा जब तक कि उसके पास नगर पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी विधि मानय अनुज्ञप्ति या प्राधिकार न हो।
- (2) कोई व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली है, किसी वधशाला में किसी रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (3) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से पीड़ित है, किसी पशु का वध करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
9. वधशाला का निरीक्षण (1) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या पशु कल्याण संगठन, किसी वधशाला का, कार्य के घंटों के दौरान किसी भी समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है, वधशाला के स्वामी या उसके भारसाधक व्यक्ति को सूचना दिए बिना, उसका निरीक्षण कर सकेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या पशु कल्याण संगठन, निरीक्षण के पश्चात् अपनी रिपोर्ट भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और नगर पालिका स्थानीय प्राधिकारी को समुचित कारवाई के लिए, जिसके अन्तर्गत इन नियमों के किसी उपबंध के अतिरिक्त की दशा में, विधिक कार्यवाई संस्थित करना भी है, भेजेगा।

[फा. सं. 19/1/2000-ए डब्ल्यू डी]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2001

**S. O. 270(E).**— Whereas the draft **Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2000** were published, as required by sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), under the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 1165(E) dated the 26<sup>th</sup> December, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) dated the 27<sup>th</sup> December, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1<sup>st</sup> January, 2001;

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the **Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001**
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions .-** In these rules unless the context otherwise requires , -
  - a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960(59 of 1960);
  - b) "slaughter" means the killing or destruction of any animal for the purpose of food and includes all the processes and operations performed on all such animals in order to prepare it for being slaughtered;
  - c) "slaughter house" means a slaughter house wherein 10 or more than 10 animals are slaughtered per day and is duly licensed or recognised under a Central, State or Provincial Act or any rules or regulations made thereunder;

- d) “veterinary doctor” means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act., 1984 (52 of 1984);

3. **Animals not to be slaughtered except in recognized or licensed houses.**- (1) No person shall slaughter any animal within a municipal area except in a slaughter house recognised or licensed by the concerned authority empowered under the law for the time being in force to do so.

(2) No animal which -

- (i) is pregnant, or
- (ii) has an offspring less than three months old, or
- (iii) is under the age of three months or
- (iv) has not been certified by a veterinary doctor that it is in a fit condition to be slaughtered,

-- shall be slaughtered

(3) The municipal or other local authority specified by the Central Government for this purpose shall, having regard to the capacity of the slaughter house and the requirement of the local population of the area in which a slaughter house is situated, determine the maximum number of animals that may be slaughtered in a day.

4. **Reception area or resting grounds** - (1) The slaughter house shall have a reception area of adequate size sufficient for livestock subject to veterinary inspection.

- (2) The veterinary doctor shall examine thoroughly not more than 12 animals in an hour and not more than 96 animals in a day.
- (3) The veterinary doctor after examining the animal shall issue a fitness certificate in the form specified by the Central Government for this purpose.
- (4) The reception area of slaughter house shall have proper ramps for direct unloading of animals from vehicles or railway wagons and the said reception area shall have adequate facility sufficient for feeding and watering of animals.
- (5) Separate isolation pens shall be provided in slaughter house with watering and feeding arrangements for animals suspected to be suffering from contagious and infectious diseases, and fractious animals, in order to segregate them from the remaining animals.

- (6) Adequate holding area shall be provided in slaughter house according to the class of animals to be slaughtered and the said holding area shall have water and feeding facilities.
- (7) The resting grounds in slaughter house shall have overhead protective shelters.
- (8) Ante-mortem and pen Area in slaughter house shall be paved with impervious material such as concrete non-slippery herring-bone type suitable to stand wear and tear by hooves, or brick, and pitched to suitable drainage facilities and the curbs of said impervious material 150 to 300 mm high shall be provided around the borders of livestock pen area, except at the entrances and such pen shall preferably be covered.

5. **Lairages** .- (1) Every animal after it has been subject to veterinary inspection shall be passed on to a lairage for resting for 24 hours before slaughter

- (2) The lairage of the slaughter house shall be adequate in size sufficient for the number of animals to be laired;
- (3) The space provided in the pens of such lairage shall be not less than 2.8 sq. mt. per large animal and 1.6 sq. mt. per small animal;
- (4) The animals shall be kept in such lairage separately depending upon their type and class and such lairage shall be so constructed as to protect the animals from heat, cold and rain,
- (5) The lairage shall have adequate facilities for watering and post-mortem inspection.

6 **Slaughter** .- (1) No animal shall be slaughtered in a slaughter house in sight of other animals.

- (2) No animal shall be administered any chemical, drug or hormone before slaughter except drug for its treatment from any specific disease or ailment
- (3) The slaughter halls in a slaughter house shall provide separate sections of adequate dimensions sufficient for slaughter of individual animals to ensure that the animal to be slaughtered is not within the sight of other animals.
- (4) Every slaughter house as soon as possible shall provide a separate space for stunning of animals prior to slaughter, bleeding and dressing of the carcasses,
- (5) Knocking section in slaughter house may be so planned as to suit the animal and particularly the ritual slaughter, if any and such knocking section and dry landing area associated with it shall be so built that escape from this section can be easily carried out by an operator without allowing the animal to pass the escape barrier

- (6) A curbed-in bleeding area of adequate size as specified by the Central Government shall be provided in a slaughter house and it shall be so located that the blood could not be splashed on other animals being slaughtered or on the carcass being skinned;
- (7) The blood drain and collection in a slaughter house shall be immediate and proper;
- (8) A floor wash point shall be provided in a slaughter house for intermittent cleaning and a hand-wash basin and knife sterilizer shall also be provided for the sticker to sterilize knife and wash his hands periodically.
- (9) Dressing of carcasses in a slaughter house shall not be done on floor and adequate means and tools for dehiding or belting of the animals shall be provided in a slaughter house with means for immediate disposal of hides or skins;
- (10) Hides or skins shall be immediately transported from a slaughter house either in a closed wheelbarrow or by a chute provided with self-closing door and in no case such hides or skins shall be spread on slaughter floor for inspection;
- (11) Floor wash point and adequate number of hand wash basins with sterilizer shall be provided in a dressing area of a slaughter house with means for immediate disposal of legs, horns, hooves and other parts of animals through spring load floor chutes or sidewall doors or closed wheelbarrows and in case wheelbarrows or trucks are used in a slaughter house, care shall be taken that no point wheelbarrow or truck has to ply under the dressing rails and a clear passage is provided for movement of the trucks;
- (12) Adequate space and suitable and properly located facilities shall be provided sufficient for inspection of the viscera of the various types of animals slaughtered in a slaughter house and it shall have adequate facilities for hand washing, tool sterilization and floor washing and contrivances for immediate separation and disposal of condemned material;
- (13) Adequate arrangements shall be made in a slaughter house by its owner for identification, inspection and correlation of carcass, viscera and head;
- (14) In a slaughter house, a curbed and separately drained area or an area of sufficient size, sloped 33 mm per metre to a floor drain, where the carcasses may be washed with a jet of water, shall be provided by the owner of such slaughter house.

**7 Slaughter house building .-** The different construction of a slaughter house shall be built and maintained by its owner in the manner as specified below, namely:-

- (a) **Plant Building-** (i) Materials used shall be impervious, easily cleansable, and resistant to wear and corrosion. (ii) Materials such as wood, plaster board, and porous acoustic-type boards, which are absorbent and difficult to keep clean shall not be used;
- (b) **Floors-** The floors shall be non-absorbent and non-slippery with rough finish, and shall have suitable gradient for drainage;
- (c) **Coves-** Coves with radii sufficient to promote sanitation shall be installed at the juncture of floors and walls in all rooms and which shall not be less than 100 mm;
- (d) **Interior Walls-** (i) Interior walls shall be smooth and flat and constructed of impervious materials such as glazed brick, glazed tile, smooth surface Portland cement plaster, or other non-toxic, non-absorbent material applied to a suitable base. (ii) Walls shall be provided with suitable sanitary type bumpers to prevent damage by hand trucks, carcass shanks, and the like. (iii) The interior walls shall have washable surface up to the height of 2 meters from the floor so that the splashes may be washed and disinfected.
- (e) **Ceilings-** (i) Ceilings shall be of the height of 5 mtrs or more in workrooms and so far as structural conditions permit, ceilings shall be smooth and flat. (ii) Ceilings shall be constructed of Portland cement plaster, large size cement asbestos boards with joints sealed with a flexible sealing compound, or other acceptable impervious material and finished so as to minimise condensation, mould development, flaking and accumulation of dirt. (iii) The walls above glazed type portion and ceiling shall be painted with water-resistant paint to maintain them clean;
- (f) **Window Ledges-** Window ledges shall be sloped at 45 degrees to promote sanitation and to avoid damage to glass in windows from impact of hand trucks and similar equipment, the windowsills shall be 1200 mm above the floor level with proper ventilation through mechanical venting or through working vents shall be provided in the roof structure;
- (g) **Doorways and Doors-** (i) Doorways through which product is transferred on rails or in hand trucks shall be at least 1 500 mm high and shall be atleast 1 500 mm wide. (ii) Doors shall either be of rust-resistant metal construction throughout, or if made with rust-resistant metal having tight softwood, they shall be clad on both sides with soldered or welded seams. (iii) Doorjambes shall be clad with rust-resistant metal securely affixed so as to provide no crevices for dirt or vermin and the juncture at which the door joins the walls shall be effectively sealed with a flexible sealing compound;
- (h) **Screens and Insect control-** All windows, doorways, and other openings that may admit flies shall be equipped with effective insect and rodent screens and 'Fly chaser' fans and ducts or air curtains shall be provided over doorways in outside wall of food handling areas that are used for dispatch or receiving;
- (i) **Rodent-Proofing-** Except in the case of solid masonry, walls constructed of glazed tile, glazed brick, and the like, expanded metal or wire mesh, not exceeding 12.5 mm mesh, shall be embedded in walls and floor at their junction and such mesh

- shall extend vertically and horizontally to a sufficient distance to exclude the entrance of rats and other rodents;
- (j) Vehicular areas for Trucks- (i) Concrete paved areas, properly drained and extending at least 6 metres from building, loading docks or livestock platforms shall be provided at places where vehicles are loaded or unloaded. (ii) Pressure washing jets and disinfection facilities for trucks carrying animals shall also be provided at such places.
- (k) Drainage- (i) All parts of floors where wet operations are conducted shall be well drained and as far as possible, one drainage inlet shall be provided for each 37metre square of floor space. (ii) A slope of about 20 mm per metre to drainage inlets shall be provided for usual conditions and it shall be ensured that the floor slopes uniformly to drains with no low spots, which collect liquid. (iii) Floor drains shall not be provided in freezer rooms or dry storage areas and when floor drains are installed in rooms where the water seal in traps is likely to evaporate without replenishment, they shall be provided with suitable removable metal screw plugs;
- (l) Traps and vents on drainage lines- (i) Each floor drain, including blood drains, shall be equipped with a deep seal trap (P-, U-, or S-shape). (ii) Drainage lines shall be properly vented to the outside air and be equipped with effective rodent screens;
- (m) Sanitary drainage lines- Drainage line from toilet pans and urinals shall not be connected with other drainage lines within the plant and shall not discharge into a grease catch basin and such lines shall be installed so that if leakage develops, it shall not affect the product or the equipment;
- (n) Lighting and ventilation- (i) Unrefrigerated work rooms shall be provided with adequate direct natural light and ventilation or ample artificial light and ventilation by mechanical means. (ii) Uncoloured glass having a high transmissibility of light shall be used in skylights and windows. (iii) The glass area shall be approximately one-fourth of the floor area of a workroom and such ratio shall be increased where there are obstructions, such as adjacent buildings, overhead catwalks, and hoists, which interfere with the admittance of direct natural light. (iv) Distributed artificial lighting of much quality and at such distances as may be specified by the Central Government shall be provided at all places where adequate natural light is not available or is insufficient;
- (o) Every abattoir shall be provided with distributed artificial light of an overall intensity of not less than 200 lux at the distances as may be specified by the Central Government throughout the slaughter hall and workrooms and at places where meat inspection is carried out, the overall intensity of artificial light shall be not less than 500 lux;
- (p) every abattoir shall be provided with suitable and sufficient means of ventilation to the outside air and the construction of the slaughter hall shall be so arranged that the dressed carcasses are not exposed to direct sunlight;
- (q) a sufficient, safe, potable and constant supply of fresh water shall be available at adequate pressure through the premises,
- (r) the pressure for the general purpose of floor washing may preferably be 200 to 330 kPa for thorough floor cleaning;

- (s) for thorough and efficient washing of carcasses, a higher pressure between 1000 kPa to 1 700 kPa shall be maintained;
- (t) floor washing point shall be provided preferably for minimum 37 meter square on slaughter floor and working departments;
- (u) a constant supply of clean hot water shall be available in the slaughter hall and workrooms during working hours and the hotwater required for frequent sterilising of equipment shall not be less than 82 degree celsius;
- (v) where necessary for sanitary maintenance, equipment shall be constructed and installed so as to be completely self-draining;
- (w) the following materials shall not be used in an abattoir, namely:-

- (i) copper and its alloys in equipment used for edible products;
- (ii) cadmium in any form in equipment handling edible products;
- (iii) equipment with painted surface in product zone;
- (iv) enamel containers or equipment is not desirable, and
- (v) lead;

- (x) all permanently mounted equipment shall either be installed sufficiently away from walls (minimum 300 mm) to provide access for cleaning and inspection;
- (y) all permanently mounted equipment shall either be installed sufficiently above the floor (minimum 300 mm) to provide access for cleaning and inspection or be completely sealed (watertight) to the floor area.

8 **Engagement in slaughter house:-** (1) No owner or occupier of a slaughter house shall engage a person for slaughtering animals unless he possesses a valid license or authorisation issued by the municipal or other local authority.

- (2) No person who has not attained the age of 18 years shall be employed in any manner in a slaughter house
- (3) No person who is suffering from any communicable or infectious disease shall be permitted to slaughter an animal

9. **Inspection of slaughter house:-** (1) The Animal Welfare Board of India or any person or Animal Welfare Organisation authorised by it may inspect any slaughter house without notice to its owner or the person incharge of it at any time during the working hours to ensure that the provisions of these rules are being complied with.

- (2) The person or the Animal Welfare Organisation authorised under sub rule (1) shall after inspection send its report to Animal Welfare Board of India as well as to the municipal or local authority for appropriate action including initiation of legal proceedings if any, in the event of violation of any provisions of these rules.

[F. No. 19/1/2000-AWD]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का. आ. 271 (अ).— पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियमन) नियम, 2000 का एक प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1166 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 दिसम्बर, 2000 में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियों जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियों जनता को। जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा 1 और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियमन) नियम, 2001 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
  - (क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;
  - (ख) “पशु कल्याण संगठन” से पशुओं के कल्याण के लिए ऐसा कोई संगठन अभिप्रेत है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है;
  - (ग) “बोर्ड” से अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;
  - (घ) “स्थानीय प्राधिकरण” से किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर पशुओं से संबंधित किसी मामले के नियंत्रण और प्रशासन के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई नगर पालिका बोर्ड या नगर पालिका समिति, राज्य पशु कल्याण बोर्ड, जिला बोर्ड या कोई स्थानीय पशु कल्याण संगठन अभिप्रेत है ;
  - (ङ) “सोसाइटी” से किसी जिले में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी राज्य में लागू किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए स्थापित सोसाइटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस पी सी ए कहा गया है) अभिप्रेत है और इसमें किसी जिले में कृत्य कर रही विद्यमान एस पी सी ए सम्मिलित है ;
  - (च) “पशु चिकित्सक” से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
3. किसी जिले में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी :— (1) प्रत्येक राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र और प्रत्येक दशा में इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सोसाइटी स्थापित करेगी, जो उस जिले में एस पी सी ए होगी ;

परंतु यह कि किसी जिले में इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए कृत्य कर रही कोई सोसाइटी, उस जिले में इन नियमों के अधीन एस पी सी ए की स्थापना तक, अपने कृत्यों का निर्वहन करती रहेगी।

- (2) सोसाइटी की प्रबंध समिति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की जाएगी, जिसमें एक अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बोर्ड की सहमति से की जाएगी, और अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जिसे राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए आवश्यक समझे।

- (i) कम से कम दो सदस्य ऐसे होंगे जो पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि हों और जो अधिमानतः उसी जिले के हों और पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के और पशु कल्याण के कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हों, और

- (ii) कम से कम दो सदस्य, सोसाइटी के सदस्यों के साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे।
- (3) सोसाइटी का कर्तव्य इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन में सरकार, बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरण की सहायता करना होगा और उसे ऐसी उपविधियाँ और मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने की शक्तियाँ होंगी, जो उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाएँ।
- (4) सोसाइटी या उसके द्वारा इस विहित प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यदि सोसाइटी या उस व्यक्ति के पास यह विश्वास करने के लिए युक्ति युक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, तो सोसाइटी या ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से, उसके कब्जे, नियंत्रण, अभिरक्षा या उसके स्वामित्व में के किसी पशु को या ऐसे व्यक्ति को मंजूर की गई या अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित किमी अनुज्ञापति, अनुज्ञापत्र अथवा किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और तलाशी या जांच करने के लिए किमी यान को रोक सकेगा या किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे पशु का, जिसकी बाबत सोसाइटी या ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, अभिग्रहण कर सकेगा और उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार कर सकेगा।
- (5) इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, राज्य सरकार बोर्ड के परामर्श से किसी सोसाइटी को इन नियमों के अधीन शक्तियों के प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन के लिए अन्य शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगी।
4. रूग्णावास और पशु आश्रयों की स्थापना :—(1) प्रत्येक राज्य सरकार सोसाइटी को रूग्णावास और पशु आश्रयों के सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त भूमि और अन्य प्रसुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।
- (2) प्रत्येक रूग्णावास और पशु आश्रय में निम्नलिखित होगा।
- (i) एक पूर्णकालिक पशु चिकित्सक और ऐसे रूग्णावास और पशु आश्रय को प्रभावी रूप से चलाने और उसके अनुरक्षण के लिए अन्य कर्मचारिवृन्द; और
- (ii) एक प्रशासक, जिसे सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक सोसाइटी, उसके प्रशासक के माध्यम से या अन्य रूप से, इसके नियंत्रण और अधिकारिता के अधीन आने वाले रूग्णावासों और पशु आश्रयों के संपूर्ण कार्यों की पर्यवेक्षा करेगी।
- (4) स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा चलाए जा रहे सभी कांजी हाउसों और पिंजरापोलों का प्रबंधन ऐसे प्राधिकरण द्वारा सोसाइटी या पशु कल्याण संगठन के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।
5. एस.पी.सी.ए. का विनियमन :—(1) प्रत्येक सोसाइटी अपनी वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी, जिसमें ऐसे वार्षिक लेखों के साथ, जिन्हें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय ने, ऐसे लेखों के सोसाइटी की प्रबंध समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर सम्यक रूप से लेखा परीक्षित किया है, इसके द्वारा पशुओं के कल्याण के लिए किए गए क्रियाकलापों और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम और किए गए उपाय सम्मिलित होंगे।
- (2) बोर्ड, सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत ऐसी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों की परीक्षा करेगा और इसके कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए निदेश भी दे सकेगा, जिनमें अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के विचार से सोसाइटी की प्रबंध समिति का अधिक्रमण भी है। परंतु बोर्ड सोसाइटी को अधिक्रान्त करने और सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार नई प्रबंध समिति को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन कराने के निदेश देने से पूर्व सोसाइटी के पदधारियों या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगा।
- (3) बोर्ड किसी भी सोसाइटी को उसके सुचारू और दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए कोई निदेश दे सकेगा, जिसमें सोसाइटी की प्रबंध समिति के निर्वाचन कराने की प्रक्रिया, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग और आस्तियाँ का प्रबंधन भी सम्मिलित हैं।

[ फा. सं. 19/1/2000-ए डब्ल्यू डी ]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2001

**S. O. 271(E).**—Whereas the draft **Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2000** were published, as required by sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), under the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 1166 (E) dated the 26<sup>th</sup> December, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) dated the 27<sup>th</sup> December, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1<sup>st</sup> January, 2001,

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement:**— (1) These rules may be called the **Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals ) Rules, 2001**
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions:**— In these rules, unless the context otherwise requires,
  - (a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 ( 59 of 1960) ;
  - (b) “Animal Welfare Organisation” means a Welfare Organisation for animals which is registered under the Societies Registration Act of 1860 (21 of 1860) or any other corresponding law for the time being in force and recognised by the Board or the Central Government;
  - (c) “Board” means the Animal Welfare Board of India established under the Act;

- (d) "local authority" means a municipal board or municipal committee, a State Animal Welfare Board, district board or any local animal welfare organisation authorised by any law for the control and administration of any matter relating to animals within a specified local area;
- (e) "Society" means Society for Prevention of Cruelty to Animals (hereinafter referred to as SPCA) established in any district under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any other corresponding law applicable in a state and shall include the existing SPCA functioning in any district.
- (f) "veterinary doctor" means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

**Society for Prevention of Cruelty to animals in a district:-**

- (1) Every State Government shall, by notification in the Official Gazette., establish, as soon as may be and in any event within six months from the date of commencement of these rules , a society for every district in the state to be the SPCA in that district;

Provided that any society for prevention of cruelty to animals functioning in any district on the date of commencement of these rules shall continue to discharge its functions till establishment of the SPCA in that district under these rules.

- (2) The Managing Committee of the Society shall be appointed by the State Government or the local authority of the district consisting of a Chairperson to be appointed by the State Government or the local authority of the district, as the case may be , with the concurrence of the Board and shall consist of such number of other members as may be considered necessary by the State Government or the local authority of the district subject to the condition that -
- (i) at least two members shall be representatives of the Animal Welfare Organisations which are actively involved in the work of prevention of cruelty to animals and welfare of animals preferably from within the district; and
- (ii) at least two members shall be the persons elected by the general body of members of the Society.
- (3) The duties and powers of the Society shall be to aid the Government, the Board and local authority in enforcing the provisions of the Act and to make such bye-laws and guidelines as it may deem necessary for the efficient discharge of its duties.
- (4) The Society, or any person authorized by it in this behalf, if it or he has reasonable grounds for believing that any person has committed an offence under the Act, it or such authorized person may require such person to produce forthwith any animal in his possession, control, custody

or ownership, or any license, permit or any other document granted to such person or required to be kept by him under the provisions of the Act and may stop any vehicle or enter into any premises in order to conduct a search or inquiry and may seize an animal in respect of which it or such authorized person has reason to believe that an offence under the Act is being committed, and deal with it in accordance with law.

- (5) In addition to the powers conferred by these rules, the State Government may, in consultation with the Board, confer such other powers upon any Society for exercising the powers and discharging the functions assigned to it under these rules.
- 4. Setting up of infirmaries and animal shelters:-** (1) Every State Government shall provide adequate land and other facilities to the Society for the purpose of constructing infirmaries and animal shelters.
- (2) Every infirmary and animal shelter shall have --
- (i) a full time veterinary doctor and other staff for the effective running and maintenance of such infirmary or animal shelter; and
  - (ii) an administrator who shall be appointed by the Society.
- (3) Every Society shall, through its administrator or otherwise, supervise the overall functioning of the infirmaries and animal shelters under its control and jurisdiction.
- (4) All cattle pounds and pinjrapoles owned and run by a local authority shall be managed by such authority jointly with the Society or Animal Welfare Organisations”.
- 5. Regulation of SPCAs:-**
- (1) Every Society shall submit its annual report to the Board incorporating therein the activities undertaken by it for the welfare of animals and the steps or measures taken by it to implement various provisions of the Act and the rules made thereunder along with annual accounts duly audited by a chartered accountant or any other body authorised by law within a period of one month from the date of its accounts having been finalised by its managing committee
- (2) The Board shall examine such annual report and the annual accounts submitted by the Society and may give any directions to it for improvement of its functioning including the supersession of the managing committee of the Society with a view to give effect to the provisions of the Act and the rules made thereunder.

Provided that the Board shall give opportunity of personal hearing to the office bearers of the Society or any representative authorised by it before giving direction of its supersession and holding of fresh elections for electing a new managing committee as per bye-laws of the society.

- (3) The Board shall give any direction to any Society in the interest of smooth and efficient functioning of the Society including the procedure for holding the election of the managing committee of the Society, utilisation of financial resources and management of assets of the Society with a view to give effect to the provisions of the Act and the rules made thereunder.

[F. No. 19/1/2000-AWD]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

